

Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission, Lucknow

In exercise of powers conferred on it by sub-section (4) of Section 9 and sub-section (1) of Section 52 of the Uttar Pradesh Electricity Reforms Act, 1999 (UP Act No. 24 of 1999), read with Section 174, 181 and 185(3) of the Electricity Act, 2003 (Act 36 of 2003) and all powers enabling it in that behalf, and in supersession of the Notification No. UPERC - ~~Secretary-2004-3135~~ dated 6th Feb, 2004

....., the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations, namely:

CHAPTER 1

GENERAL

1. Short title, Commencement and Interpretation:

- a. These Regulations may be called the 'Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2019'.
- b. These shall come into force and apply to the State of Uttar Pradesh from the date of the publication in the official Gazette.
- c. The Uttar Pradesh General Clauses Act 1904, (Act 1 of 1904) shall apply to the interpretation of these Regulations.

2. Definitions:

- a. In these Regulations, unless the context otherwise requires:
 - i. "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) as amended from time to time;
 - ii. "Adjudication" means the process of arriving at decisions on Petitions submitted to the Commission.
 - iii. 'Applicable Legal Framework' means the provisions of Uttar Pradesh Electricity Reforms Act, 1999 to the extent not in-consistent with the provisions of the Electricity Act, 2003, read with the applicable provisions of the Electricity Act, 2003;
 - iv. 'Chairperson' means the Chairperson of the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission;







- v. 'Commission' means the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission;
- vi. 'Consultant' includes any person not in the employment of the Commission who may be appointed as such to assist the Commission on any matter required to be dealt with by the Commission under the Act;
- vii. 'Member' means a Member of the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission;
- viii. 'Secretary' means Secretary of the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission;
- ix. 'Petition' includes all Petitions, applications, complaints, appeals, replies, rejoinders, supplemental pleadings, other papers and documents;
- x. 'Proceedings' include Proceedings of all nature that the Commission may hold in the discharge of its function under the Applicable Legal Framework;
- xi. 'Officer' means Officer of the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission;
- xii. 'Regulation' means Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulation, 2019, as amended from time to time;
- xiii. 'UP Reforms Act' means Uttar Pradesh Electricity Reforms Act, 1999 (UP Act No. 24 of 1999).
- b. Words or expressions occurring in these Regulations and not defined herein above shall bear the same meaning as in the Applicable Legal Framework.
- c. The original regulation will be in English and it will be translated in Hindi. In case of any dispute the English version shall prevail.

3. Interpretation:

In the interpretation of these Regulations, unless the context otherwise requires

- a. Words in the singular or plural term, as the case may be, shall also be deemed to include the plural or the singular term, respectively;
- b. references herein to the "Regulation" shall be construed as a reference to these Regulations as amended by the Commission from time to time.
- c. references to the statutes, Regulations or guidelines shall be construed as including all provisions



consolidating, amending or replacing such statutes, Regulations or guidelines, as the case may be, referred to.

4. Commission's offices, office hours and sittings:

- a. The location of the offices of the Commission may from time to time be specified by the Commission, by an order made in that behalf.
- b. Unless otherwise directed, the headquarters and other offices of the Commission shall open daily, except on Saturdays, Sundays and holidays notified by the Government of Uttar Pradesh. The headquarters and other offices of the Commission shall open at such hours as the Commission may direct from time to time. Such directions shall be prominently displayed at the Commission's office and website.
- c. Where the last day for doing of any act falls on a day on which the office of the Commission is closed and by reason thereof the act cannot be done on that day, it may be done on the next day on which the office is open.
- d. The Commission may hold sittings for hearing at the headquarters or at any other place on day and time to be specified by the Commission.

5. Language of the Commission:

- a. The Proceedings of the Commission shall be conducted in Hindi or English.
- b. The Petition, documents or other matters contained in any language other than Hindi or English shall be accepted by the Commission only if the same is accompanied by a translation thereof in English.
- c. Any translation which is agreed to by the parties to the Proceedings or which any of the parties may furnish with an authenticity certificate of the person, who had translated to English, may be accepted by the Commission as a true translation.

6. Commission to have seal of its own:

- a. There shall be a separate seal indicating that it is the seal of the Commission.
- b. Every order or communication made, notice issued or certified copy granted by the Commission shall be stamped with the seal of the Commission and shall be certified by Secretary or an Officer designated for the purpose.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

7. Officers of the Commission:

- a. The Commission shall have the power to appoint the Secretary, Officers and other employees for discharging various duties. It shall also specify the qualifications, experience and other terms and conditions for the appointment of such Officers and other employees.
- b. The Commission may with the approval of the State Government specify the numbers, nature and categories; the terms and conditions of service and the salaries and allowances of the Officers and the employees of the Commission.
- c. The Commission may appoint or engage Consultants to assist the Commission in the discharge of its functions.

8. Secretary of the Commission:

- a. The Secretary shall be the Nodal Officer of the Commission and shall exercise his powers and perform his duties under the control of the Chairperson.
- b. The Commission, in the discharge of its functions under the Act, may take such assistance from the Secretary as it may deem fit.
- c. In particular, and without prejudice to the generality of the provisions of sub- Regulations (a) and (b) of Regulation 8 above, the Secretary shall have the following powers and perform the following duties, viz-
 - i. He shall have the custody of the seal and records of the Commission and shall exercise such functions as are assigned to him by these Regulations or otherwise by the Commission or the Chairperson;
 - ii. He shall receive or cause to receive all Petitions, applications or reference pertaining to the Commission. He shall scrutinize or he shall cause to scrutinize documents, including, inter alia, Petitions, appeals, applications or references with regards to the applicable Regulation(s) and shall be entitled to seek clarifications or rectifications upon the same and issue appropriate directions pertaining to the acceptance or rejection of such documents.
 - iii. He shall prepare or cause to be prepared briefs and summaries of all pleadings presented by various parties in each case before the Commission in discharge of its functions in this regard;



- iv. He shall assist the Commission in the Proceedings relating to the powers exercisable by the Commission;
 - v. He shall provide notice for meeting, prepare the agenda for meetings and minute the proceeding of the Commission's meetings.
 - vi. He shall authenticate the orders passed by the Commission.
 - vii. He shall ensure compliance of the orders passed by the Commission; and
 - viii. He shall have the right to collect from the state government or other offices, companies or firms or any other party as may be directed by the Commission, such information as may be considered useful for the purpose of efficient discharge of the functions of the Commission under the Applicable Legal Framework and place the said information before the Commission.
- d. The Commission may delegate to its other Officers such functions including functions that may be required by these Regulations to be exercised by the Secretary on terms and conditions the Commission may specify for the purpose.
- e. The Secretary, with the approval of the Commission, may delegate to any Officer of the Commission any function required by these Regulations or otherwise, to be exercised by the Secretary.
- f. In the absence of the Secretary, such other Officer of the Commission, as may be nominated by the Chairperson, may exercise all the functions of the Secretary.
9. i. Save and except the powers exercised under Section 86, Section 142 and Section 181 of the Act, the Commission may, by a general or special order in writing, delegate to any Officer of the Commission such of its powers and Functions under the Act as it may deem necessary, subject to such terms and conditions, if any, as may be stated in such order.
- ii. The Commission shall have the authority, either on an application made by any interested or affected party or suo moto, to review, revoke, revise, modify, amend, alter or otherwise change any order made or action taken by the Secretary or the Officers of the Commission.
- iii. The salaries and allowances payable to and terms and conditions of service of the Secretary shall be such as are specified by the Commission with the approval of the State Government.

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

9. Consumers Association:

- a. It shall be open to the Commission to permit any association or other bodies corporate or any group of consumers to participate in any Proceedings before the Commission on such terms and conditions including the nature and extent of participation as the Commission may consider appropriate. The Commission may also permit any individual to participate in the proceedings provided Commission finds that his/her participation will be a value addition to the proceeding.
- b. The Commission may, as and when considered appropriate, notify a procedure for recognition of association, groups, forums or bodies corporate as registered consumer association for the purpose of representation before the Commission. It shall be open to the Commission for the sake of timely completion of Proceedings, to direct grouping of the associations/forums to make collective representations. In the event that such association, groups, forums or bodies corporates want to make separate representations, they should be allowed to do so.
- c. The Commission may, appoint any Officer or any other person to represent interest of the consumer in general or any class or classes of consumer as the Commission may consider appropriate.
- d. The Commission may direct payment to the person (other than the Officer) appointed to represent the consumers interest such fee, cost and expenses by such of the parties in the Proceedings as the Commission may consider appropriate.

CHAPTER 2

GENERAL RULES CONCERNING THE PROCEEDINGS BEFORE THE COMMISSION

10. Proceedings before the Commission:

- a. The Commission may from time to time hold such Proceedings, as it may consider appropriate, in the discharge of its functions under the Applicable Legal Framework. The Commission may appoint an Officer or any other person whom the Commission considers appropriate to represent the matter as Commission's representative in the Proceedings.
- b. In discharge of its functions under the Applicable Legal Framework, the Commission may, from time to time, hold hearings, Proceedings, meetings, discussions, deliberations, inquiries, investigations and consultations, as it considers appropriate.
- c. To ensure timely and expeditious disposal of Proceedings, the Commission may adopt suitable procedures



for any proceeding, including but not limited to –

- i. joinder of cases for hearing
- ii. appoint a representative for a class of consumers/ parties to present combined pleadings, affidavits and documents, as also to present the case of such class of consumers/ parties;
- iii. seek testimony or advice or opinion on specific issues; and / or
- iv. appoint amicus curiae

11. Quorum

- a. For all initial procedural issues and also adjudicatory Proceedings of the Commission, generally the quorum of the Commission shall be two among the three Members. All questions which come up before any meeting/proceeding of the Commission shall be decided by a majority of votes of the Members present and voting, and in the event of an equality of votes, the Chairperson shall have a second or casting vote. Save as otherwise provided herein above, every Member shall have one vote.
- b. In the event that the posts of Chairperson and/or any one of the Members are vacant and one Member proceeds on leave for a period more than 7 working days, the quorum of the Commission shall be one Member for all procedural and adjudicatory Proceedings during that period.
- c. The Commission may, direct that specific matters or issues be heard and decided by a bench constituted by less than the full strength of the Commission. However, in the event that the posts of Chairperson and/or any one of the Members are vacant and one Member has to proceed on leave for a period of more than 7 working days, then the two Members i.e. the Member staying back in the Commission and the Member proceeding on leave may direct that the specific matters or issues be heard by one Member i.e. the Member staying back in the Commission. These matters shall be including but not limited to the Proceedings under Section 142 of the Act.
- d. The Commission may appoint any of its Members to be an adjudicating Officer for holding an enquiry under the provisions of Section 143 and 144 of the Act.

12. Vacancies etc. not to invalidate Proceedings:

No act or Proceedings of the Commission shall be questioned or shall be invalidated merely on the ground of existence of any vacancy or defect in the Constitution of the Commission.

[Signature]



[Signature]

13. Authority to represent:

- a. A person may authorize an advocate or a Member of any statutory professional body holding a certificate of practice as the Commission may from time to time specify to represent him and act and plead on his behalf before the Commission. The person may also appear himself or may authorize any of his employees to appear before the Commission and to act and plead on his behalf. The Commission from time to time may specify the terms and conditions subject to which a person may authorize any other person to act and plead on his behalf.
- b. Generally, the Proceedings initiated before the Commission should be signed by the Petitioner in case of an individual or by any Officer having authorization from the Board of Directors, by a specific or general resolution, in case of a Company.

14. Initiation of Proceedings:

- a. The Commission may initiate any proceeding suo moto or on a Petition filed by any affected person.
- b. When the Commission initiates the Proceedings, it shall be by a notice issued by the Office of the Commission through Secretary and the Commission may give such orders and directions as may be deemed necessary, for service of notices to the affected parties, for the filing of replies and rejoinder in opposition or in support of the Petition in such form as the Commission may direct. The Commission may, if it considers appropriate, issue orders for advertisement of the Petition inviting comments on the issue involved in the Proceedings in such form as the Commission may direct.
- c. While issuing the notice of inquiry the Commission may, in appropriate cases, designate an Officer of the Commission or any other person whom the Commission considers appropriate to present the matter in the capacity of the Party, which cannot afford to engage its representative

15. Petitions and pleadings before the Commission:

- a. All Petitions to be filed before the Commission shall be typewritten or printed neatly and legibly on one side of white paper and every page shall be consecutively numbered. The contents of the Petition should be divided appropriately into separate paragraphs, which shall be numbered serially. The Petition shall be



accompanied by such documents and statements as the Commission may specify. Each page of the Petition and accompanying documents shall be signed by the Petitioner or his authorized representative. There shall also be provision of filing Petitions electronically (e-filing). The procedure of e-filing shall be issued separately.

- b. All Petitions shall contain a summary / synopsis of the brief facts, issues, case law referred to, and reliefs sought therein and shall mention the following particulars:
- i. The statutory provisions under which the Petition is being filed before the Commission.
 - ii. reasons why the Commission has jurisdiction to try, entertain and dispose of the Petition;
 - iii. whether the Petition is filed within the time limit prescribed in the Limitation Act, 1963, and if not, the period of delay and whether the Petitioner is seeking condonation of delay, and on what grounds.

16. General Headings:

The general heading in all Petitions before the Commission and in all advertisements and notices shall be in the UPERC-Form-1 attached to these Regulations (Annexure 1) or as otherwise prescribed by the Commission from time to time.

17. Affidavit in support:

- a. Every Petition filed shall be verified by an affidavit and every such affidavit shall be in UPERC-Form-2 attached to these Regulations (Annexure 1) or as otherwise prescribed by the Commission from time to time.

Provided that the Commission may waive the requirement of affidavit in cases where it deems necessary.

- b. Every affidavit shall be drawn up in the first person and shall state the full name, age, occupation and address of the deponent and the capacity in which he is signing and shall be signed and sworn before a person lawfully authorized to take and receive affidavits. The affidavit shall also declare that there is no case pending in any court of law / tribunal or arbitrator or any other authority wherein the petitioner is a party and where issues arising and / or reliefs sought are identical or similar to the issues arising in the matter pending before the Commission. The affidavit shall be typed on a stamp paper of a value prescribed by the State Government for affidavits in accordance with the provisions of the Indian Stamp Act, 1899 as amended from time to time.

[Handwritten signature]



[Handwritten number 2]

- c. Every affidavit shall clearly and separately indicate statements, which are true to the-
- i. knowledge of the deponent
 - ii. information received by the deponent; and
 - iii. belief of the deponent.
- d. Where any statement in affidavit is stated to be true to the information received by the deponent the affidavit shall also disclose the source of the information and a statement that the deponent believes that information to be true.
- e. In accordance with Section 193 of Indian Penal Code, 1860, whoever intentionally gives false evidence in any of the Proceedings of the Commission or fabricates evidence for the purpose of being used in any of the Proceedings, shall be punished with imprisonment for a term, which may extend to seven years and shall also be liable to fine.

18. Presentation and scrutiny of the pleadings, etc.:

- a. All Petitions, including those submitted by electronic mail, shall be filed in five copies and each set of the Petition shall be complete in all respects. The fees as have been prescribed by the Commission in the UPERC (Fees and Fines) Regulations, 2010 as amended from time to time shall be payable along with the Petition. Further in cases where any license or agreement is being filed before the Commission for which an approval is being sought, one soft copy in PDF and Word/Excel format shall be filed along with the Petition.
- b. All Petitions shall be presented in person or by any duly authorized agent or representative at the headquarters or such other filing center or centers as may be notified by the Commission from time to time and during the notified time. The Petitions may also be sent by electronic mail or registered post acknowledgement due to the Commission at the place mentioned above. The vakalatnama in favor of the Advocate and in the event the Petitions are presented by an authorized agent or representative the document authorizing the agent or representative shall be filed along with the Petition, if not already filed on the record of the case.
- c. Upon the receipt of the Petition the Petition Officer/staff shall acknowledge the receipt by stamping and endorsing the date on which the Petition has been presented and shall issue an acknowledgement with stamp and date to the person filing the Petition. In case the Petition is received by registered post, the date

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

on which the Petition is actually received at the office of the Commission shall be taken as the date of the presentation of the Petition.

- d. The presentation and the receipt of the Petition shall be duly entered in the register maintained for the purpose by the office of the Commission. Such register shall be maintained in the form and manner as may be determined by the Commission, from time to time, showing serial no. of Petition, date of its receipt, names of the parties, brief subject matter of the petition.
- e. The Petition Officer may decline to accept any Petition which does not conform to the provisions of the Applicable Legal Framework or the Regulations or directions given by the Commission or otherwise defective or which is presented otherwise than in accordance with the Regulations or directions of the Commission.

Provided however no Petition shall be refused for defect in the pleadings or in the presentation, without giving an opportunity to the person filing the Petition to rectify the defect within a period of fifteen (15) days from the date of dispatch of intimation of the defect in writing from the Petition Officer.

- f. On receipt of the intimation of the defect from the Petition Officer, the person filing the Petition may rectify the defect within the stipulated period or in case the person is aggrieved by any order of the Petition Officer, may request the matter to be placed before the Secretary of the Commission for appropriate orders.
- g. The Chairperson or any Member as the Chairperson may designate for the purpose shall be entitled to call for the Petition presented by the Party and give such directions regarding the presentation and acceptance of the Petition as he considers appropriate within a period of seven (7) days from the date of receipt of the request received from the Party.
- h. If on scrutiny, the Petition is accepted or in case any order of refusal is rectified by the Secretary or by the Chairperson or the Member of the Commission designated for the purpose, the Petition shall be duly registered and given a number in the manner as per practice followed by the Commission.
- i. As and when the Petition and all necessary documents are lodged and the defects and objections, if any, are removed and the Petition has been scrutinized and numbered, the Petition shall be put up before the Commission as early as possible for admission. Provided, the Petitions seeking interim relief shall be put up before the Commission within seven (7) working days after service of notice.
- j. The Commission may admit the Petition for hearing without requiring the attendance of the party. The Commission shall not pass an order refusing admission without giving the party concerned an opportunity

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

of being heard.

- k. If the Commission admits the Petitions, it may give such orders and directions, as may be deemed necessary, for service of notices to the respondent and other affected or interested parties, for the filing of replies and rejoinder in opposition or in support of the Petition in such form as the Commission may direct. The notice to the respondent shall be issued within fifteen (15) days of the Petition being admitted and the Petitioner shall take steps to serve notices on all parties to the Petition.

19. Service of notices and processes issued by the Commission

- a. i. Any notice or process to be issued by the Commission may be served by any one or more of the following modes as maybe directed by the Commission –
- (1) service by any of the party to the Proceedings;
 - (2) by hand delivery through a messenger;
 - (3) by registered post with acknowledgement;
 - (4) by fax, electronic mail, speed post, courier or pasting;
 - (5) by publication in newspaper in cases where the Commission is satisfied that it is not reasonably practicable to serve the notices, processes, etc. on any person in the manner mentioned above;
 - (6) in any other manner as considered appropriate by the Commission.
- ii. The Commission shall, however, be entitled to decide in each case the person(s) who shall bear the cost of such service / publications.
- b. Every notice or process required to be served on or delivered to any person may be sent to the person or his agent empowered to accept service at the address furnished by him for service or at the place where the person or his agent ordinarily resides or carries on business or personally works for gain.
- c. In the event any matter is pending before the Commission and the person to be served has authorised an agent or representative to appear for or represent him or her in the matter, such agent or representative shall be deemed to be duly empowered to take service of the notices and processes on behalf of the party concerned in all matters and the service on such agent or representative shall be taken as due service on the person to be served.
- d. Where a party serves a notice of the Proceedings either in person or through registered post, an affidavit of service shall be filed by the party with the Commission giving details of the date and manner of service of



notices and processes.

- e. Where any Petition is required to be advertised, it shall be advertised within such time as the Commission may direct and, unless otherwise directed by the Commission, in one issue each of a daily newspaper in the English Language and one daily newspaper in Hindi language having circulation in the area specified by the Commission.
- f. Save as otherwise provided in the Applicable Legal Framework or in the Regulations and subject to any direction which the Commission or the Secretary or the Officer designated for the purpose may give, the person moving the Commission for hearing namely the Petitioner, applicant or any other person whom the Commission makes responsible for the conduct of the Proceedings shall arrange service of all notices, summons, and other processes and for advertisement and publication of notices and processes required to be served. The Commission may also affect service or give directions for effecting service in any other manner it considers appropriate.
- g. In default of compliance with the requirements of the Regulations or directions of the Commission as regards the service of notices, summons or processes or the advertisement and publication thereof the Commission may either dismiss the Petition or give such other further directions, as the Commission may consider appropriate.
- h. No service or publication required to be done shall be deemed invalid by reason of any defect in the name or description of a person provided that the Commission is satisfied that such service is in other respects sufficient, and no proceeding shall be invalidated by reason of any defect or irregularity unless the Commission, on an objection taken, is of the opinion that substantial injustice has been caused by such defect or irregularity or there are otherwise sufficient reasons for doing so.

20. Filing of reply, opposition, objections, etc.:

- a. Each person to whom the notice of inquiry or the Petition is issued (hereinafter the Respondent) who intends to oppose or support the Petition shall file the reply and the documents relied upon within such period not exceeding four (4) weeks or such period as is specified by the Commission and in such number of copies as may be fixed by the Commission. In the reply filed, the respondent shall specifically admit, deny or explain the facts stated in the notice of inquiry or the Petition and may also state such additional facts as he considers necessary for just decision of the case. The reply shall be signed and verified and supported by affidavit in the same manner as in the case of the Petition. The Respondent shall also

Oh



2

indicate whether he wishes to participate in the Proceedings and be orally heard.

- b. The respondent shall serve a copy of the reply along with the documents duly attested to be true copies on the Petitioner or his authorized representative and file proof of such service with the office of the Commission at the time of filing the reply.
- c. Where the Respondent states additional facts as may be necessary for the just decision of the case, the Commission may allow the Petitioner to file a rejoinder to the reply filed by the Respondent within a period of four (4) weeks thereafter or such period as is specified by the Commission. The procedure mentioned above for filing of the reply shall apply mutatis mutandis to the filing of the rejoinder.
- d.
 - i. Every person who intends to file objection or comments in regard to a matter pending before the Commission pursuant to the advertisement and publication issued for the purpose (other than the persons to whom notices, processes, etc. have been issued calling for reply) shall deliver to an Officer designated by the Commission for the purpose the statement of the objection or comments with copies of the documents and evidence in support thereof within the time fixed for the purpose or in case no time has been specified, within a period of not exceeding four (4) weeks from the date of the advertisement / publication issued for the purpose or such period as is specified by the Commission.
 - ii. The Commission may permit such person or persons who file objection or comments as provided in clause (i) or any other person as the Commission considers appropriate to participate in the Proceedings before the Commission, in case the Commission considers that the participation of such person or persons will facilitate the Proceedings and the decision in the matter.
 - iii. Unless permitted by the Commission, the person filing objection or comments shall not be entitled to participate in the Proceedings. However, the Commission shall be entitled to take into account the objections and comments filed by the person(s) after giving such opportunity to the parties in the Proceedings as the Commission consider appropriate to deal with the objections and comments.

21. Hearing of the matter:

- a. The Commission may determine the stages, manner, the place and the time of the hearing of the matter as the Commission considers appropriate, consistent with such specific timing requirements as are set forth in the Applicable Legal Framework or otherwise to fulfill the need for timely completion of the matters taking



into account the relief prayed for.

- b.
 - i. The Commission may decide the matter on the pleadings and documents filed by the parties and may call for the parties to produce evidence by way of affidavit or lead oral evidence in the matter, as the Commission may consider appropriate.
 - ii. If the Commission directs evidence of a party to be led by way of affidavit, the Commission may, as and when the Commission considers it to be necessary, grant an opportunity to the other party to cross-examine the deponent on the affidavit filed.
 - iii. The Commission may, if considered necessary or expedient, direct that the evidence of any of the parties be recorded by an Officer or person designated for the purpose by the Commission
 - iv. The Commission may direct the parties to file written arguments or submissions in any matter heard by the Commission.

22. Power of the Commission to call for further information, evidence, etc.:

- a. The Commission may, at any time before passing orders on the matter, require the parties or any one or more of them or any other person whom the Commission considers appropriate to produce such documentary or other evidence as the Commission may consider necessary for the purpose of enabling it to pass orders.
- b. The Commission may direct the summoning of the witnesses, discovery and production of any document or other material objects producible in evidence, requisition of any public record from any office, examinations by an Officer of the Commission, the books, accounts or other documents or information in the custody or control of any person which the Commission considers relevant for the matter.

23. Reference of issues to others:

- a. At any stage of the Proceedings the Commission shall be entitled to refer such issue or issues in the matter as it considers appropriate to persons including but not limited to, the Officers and consultants of the Commission whom the Commission considers as qualified to give expert advice or opinion.
- b. The Commission may nominate from time to time any person including, but not limited to, the Officers and the consultants to visit any place or places for inspection and report on the existence or status of the place

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

or any facilities therein.

- c. The Commission, if it thinks fit, may direct the parties to appear before the persons designated in clause (a) or (b) above to present their respective views on the issues or matters referred to.
- d. The report or the opinion received from such person shall form a part of the record of the case and the parties shall be given the copies of the report or opinion given by the person designated by the Commission. The parties shall be entitled to file their version either in support or in opposition to the report or the opinion.
- e. The Commission shall duly take into account the report or the opinion given by the person the reply filed by the parties while deciding the matter and if considered necessary, the examination before the Commission of the person giving the report or the opinion. Provided that the Commission shall not be bound by the report or the opinion given as conclusive.

24. Procedure to be followed where any party does not appear:

- a. Where, on the date fixed for hearing or any other date to which such hearing may be adjourned, any of the party or his authorized agent or representative does not appear when the matter is called for hearing, the Commission may, in its discretion, either dismiss the Petition for default (in case the Petitioner or the person who moves the Commission for hearing does not appear) or proceed ex parte (in case the respondent or the person against whom the Petition is filed does not appear) and decide the Petition. Where neither the applicant nor the opponent appears when the application is called for hearing, the Commission may dismiss it for default.
- b. Where a Petition is dismissed in default or decided ex parte, the Person aggrieved may file an application within thirty (30) days from the date of such dismissal or being proceeded ex parte, as the case may be, for recall of the order passed, and the Commission may recall the order on such terms as it thinks fit, if the Commission is satisfied that there was sufficient cause for the non-appearance of the Party concerned, when the Petition was called for hearing.
- c. Where the issue before the Commission requires to be decided on merit and any party is not responding to the notices, the Commission may direct the Petitioner to publish a notice in newspaper having wide circulation and decide the issue on merits on the basis of the material available on record.

25. Orders of the Commission:



- a. i. The Commission shall pass orders on the Petition and the Chairperson and the Members of the Commission, who heard the matter shall sign the orders.
- ii. In case, after hearing and while giving judgment or decision, the Chairperson or any Member of the Commission dissents, he shall give his dissenting judgment with reasons. Majority view of the Commission shall be final in the judgment.
- b. The Commission may pass at any stage, in any proceeding before it, such interim orders, including interim ex-parte orders that it may consider appropriate, to, amongst other things, protect the rights and interest of any of the parties to the Proceedings or any other person including consumers or any class or classes of consumers.
- c. The Member or Members deciding the reference may, at his/their discretion, require the parties to the matter to make additional submissions before him/them before arriving at a decision.
- d. The reasons given by the Commission in support of the orders, including those by the dissenting Member, if any, shall form a part of the order and shall be available for inspection and supply of copies in accordance with these Regulations. Every order passed by the Commission should be a speaking and reasoned order.
- e. All orders and decisions issued or communicated by the Commission shall be certified by the signature of the Secretary or an Officer empowered in this behalf by the Commission and bear the official seal of the Commission.
- f. All final orders of the Commission shall be communicated to the parties in the proceeding under the signature of the Secretary or an Officer empowered in this behalf by the Commission

26. Inspection of records and supply of certified copies:

- a. All the records of the proceeding including documents, statements, photographs, recordings whether audio or video, shall be exclusive property of the Commission and cannot be copied, printed, screened, published, quoted or broadcasted without prior and written approval of the Commission.
- b. Records of every Proceeding shall be open, to the inspection of the parties or their authorized representatives at any time either during the Proceeding or after the orders are passed, subject to payment of fee and complying with other terms as the Commission may direct.

Da



Sh

- c. Records of every Proceeding, except those parts which for reasons specified by the Commission are confidential or privileged, shall be open to inspection by any person other than the parties to the Petition either during the Proceeding or after the orders have been passed, subject to such person complying with such terms as the Commission may direct from time to time including in regard to time, place and manner of inspection and payment of fees. The Commission shall endeavor to make information involving public interest accessible and available to the public, including, inter alia, through its website and endeavor to facilitate meaningful public participation in matters involving public interest.
- d. Any person shall be entitled to obtain certified copies of the orders, decisions, directions and reasons in support thereof given by the Commission as well as the pleadings, papers and other parts of the records of the Commission to which he is entitled subject to payment of fee and complying with other terms which the Commission may direct.
- e. The certified copies of documents requested shall be provided within a period of fourteen working days from the date of receipt of request.

<p style="text-align: center;">CHAPTER 3 ARBITRATION OF DISPUTES</p>
--

27. a. The arbitration of disputes (other than those between the Licensee and Consumer,) arising between licensees and generating companies may be commenced on receipt of an application from licensees or, generating companies, as the case may be.
- b. The Commission shall on receipt of any application under praying for arbitration of disputes, issue notice to the other party to show cause as to why the dispute on the matters as specified in the notice should not be adjudicated and settled through arbitration.
- c. i. The Commission may, after hearing the party/ies to whom notices have been issued and if satisfied that no reason or cause has been shown against the proposed arbitration, pass an order directing that the disputes or the matter be referred for Adjudication and settlement through arbitration either by the Commission or by a person or persons to be nominated by the Commission.
- ii. If the Commission decides to refer the matter to arbitration by a person or persons other than the Commission the reference shall be:



- (1) to a sole arbitrator if the parties to the dispute agree on the name of the arbitrator; or
- (2) if the parties are unable to agree on the name to a sole arbitrator, to a sole arbitrator to be designated by the Commission or to three persons as the Commission may direct taking into account the nature of the disputes and the value involved. If the decision is to refer to three arbitrators, one shall be nominated by each of the parties to the dispute and the third by the Commission:

Provided that if any of the parties fails to nominate the arbitrator or if any of the arbitrator nominated by the parties or the Commission fails or neglects to act or continue as arbitrator the Commission shall be entitled to nominate any other person in his place.

Without prejudice to the generality of application of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 as amended by the Arbitration and Conciliation (Amendment) Act, 2015 in the matter of appointment of the arbitrators, it shall be particularly subject to requirements laid down under Section 11, Section 12 and 7th Schedule of the Arbitration and Conciliation (Amendment) Act, 2015.

- iii. The Commission shall not nominate a person as arbitrator to whom any of the licensees or the other concerned person in the arbitration has a reasonable objection on grounds of possible bias or similar reasons, if the Commission considers the objection to be valid and justified.
- d. In case the Commission acts as the arbitrator the procedure for Adjudication and settlement to be followed shall be as far as possible the same as in the case of hearing before the Commission provided for in Chapter 2 above.
- e. The Commission shall be entitled to pass appropriate orders, as it thinks fit after giving an opportunity for hearing the parties.

CHAPTER 4

INVESTIGATION, INQUIRY, COLLECTION OF INFORMATION, ETC.

28. a. The Commission may make such order or orders as it thinks fit in terms of the Applicable Legal Framework and Regulations made by the Commission, for collection of information, inquiry, investigation, entry, search, and seizure and without prejudice to the generality of its powers in regard to the following:

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

- i. The Commission may, at any time, direct the Secretary or any one or more Officers or consultants or any other person as the Commission considers appropriate to study, investigate or furnish information with respect to any matter within the purview of the Commission under the Applicable Legal Framework.
- ii. The Commission may for the above purpose give such other directions as it may deem fit and specify the time within which the report is to be submitted or information furnished.
- iii. The Commission may issue or authorize the Secretary or an Officer to issue directions to any person to produce before it and allow to be examined and kept by an Officer of the Commission specified in this behalf the books, accounts, etc. or to furnish to an Officer information, etc. as provided in the Applicable Legal Framework and Regulations made by the Commission.
- iv. The Commission may, for the purpose of collecting any information, particulars or documents which the Commission consider necessary in connection with the discharge of its functions under the Applicable Legal Framework, issue such directions and follow any one or more of the methods provided for in the Applicable Legal Framework.
- v. If any such report or information obtained as specified in the Applicable Legal Framework or in these Regulations appears to the Commission to be insufficient or inadequate, the Commission or the Secretary or an Officer authorized for the purpose may give directions for further inquiry report and furnishing of information.
- vi. The Commission may direct such incidental, consequential and supplemental matters be attended to which may be considered relevant in connection with the above.
- b. In connection with the discharge of the functions under the Applicable Legal Framework and Regulation 29 (d), the Commission may, if it thinks fit, direct a notice of inquiry to be issued and proceed with the matter in a manner provided under Chapter 2 of these Regulations.
- c. The Commission may, at any time, take the assistance of any institution, consultants, experts, engineers, chartered accountants, advocates, surveyors and such other technical and professional persons, as it may consider necessary, and ask them to study, investigate, inquire into any matter or issue and submit report or reports or furnish any information. The Commission may determine the terms and conditions for engagement of such professionals.
- d. If the report or information obtained in terms of the above Regulations or any part thereof is proposed to be relied upon by the Commission forming its opinion or view in any Proceedings, the parties in the



Proceedings shall be given a reasonable opportunity for filing objections and making submissions on the report or information.

- e
- i. The Commission may, on being satisfied that a licensee has failed to comply with any of the conditions of license or a generating company or a licensee has failed to comply with any of the provisions of this Applicable Legal Framework or rules or Regulations made there under, at any time, by order in writing, direct any person to investigate the affairs of any generating company or licensee and report to the Commission on any investigation made by such Investigating Authority. Provided that the Investigating Authority may, wherever necessary, employ any auditor or any other person for the purpose of assisting him in any investigation under this section.
 - ii. The licensee or generating company shall be under a duty to produce before the Investigating Authority all such books of account, registers and other documents in his custody or power and to furnish him with any statement and information relating to the affairs of the licensee or generating company, as the case may be, as the said Investigating Authority may require of him within such time as the said Investigating Authority may specify.
 - iii. The Investigating Authority would be empowered to examine on oath any manager, managing director or other Officer of the licensee or generating company, as the case may be, in relation to his business and may administer oaths accordingly. The Investigating Authority, shall, if directed by the Commission to cause an inspection to be made.
 - iv. On receipt of any report and after giving such opportunity to the licensee or generating company, as the case may be, to make a representation in connection with the report as the Commission seems reasonable, it may by order in writing –
 - (1) require the licensee or the generating company to take such action in respect of any matter arising out of the report as the Commission may think fit; or
 - (2) cancel the license; or
 - (3) direct the generating company to cease to carry on the business of generation of electricity.
 - v. The Commission may, after giving reasonable notice to the licensee or the generating company, as the case may be, publish the report submitted by the Investigating Authority or such portion thereof as may appear to it to be necessary.

[Handwritten signature]



[Handwritten number 2]

vi. The Commission may specify the minimum information to be maintained by the licensee or the generating company in their books, the manner in which such information shall be maintained, the checks and other verifications to be adopted by licensee or the generating company in that connection and all other matters incidental thereto as are, in its opinion, necessary to enable the Investigating Authority to discharge satisfactorily its functions. For the purposes of this Regulations, the expression "licensee or the generating company" shall include in the case of a licensee incorporated in India –

- (1) all its subsidiaries formed for the purpose of carrying on the business of generation or transmission or distribution or trading of electricity exclusively outside India; and
- (2) all its branches whether situated in India or outside India.
- (3) all expenses of, and incidental to, any investigation made under this provision shall be defrayed by the licensee or generating company, as the case may be, and shall have priority over that debts due from the licensee or the generating company and shall be recoverable as an arrear of land revenue.

vii. Where the Commission, on the basis of material in its possession, is satisfied that a licensee is contravening, or is likely to contravene, any of the conditions mentioned in his licence or conditions for grant of exemption or the licensee or the generating company has contravened or is likely to contravene any of the provisions of this Applicable Legal Framework, it shall, by an order, give such directions as may be necessary for the purpose of securing compliance with that condition or provision. While giving such directions, the Commission shall have due regard to the extent to which any person is likely to sustain loss or damage due to such contravention.

viii. The Commission, before issuing any direction for the purpose of securing compliance with that condition or provision, shall –

- (1) serve notice in the manner as may be specified to the concerned licensee or the generating company;
- (2) publish the notice in the manner as may be specified for the purpose of bringing the matters to the attention of persons, likely to be affected, or affected;
- (3) Consider suggestions and objections from the concerned licensee or generating company and the persons, likely to be affected, or affected.



CHAPTER 5

LICENSE

29. License related issues shall be governed by Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (General Conditions of Distribution License) Regulations, 2004, Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (General Conditions of Transmission License) Regulations, 2005, Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Procedure Terms & Conditions for grant of Trading License for Intrastate Electricity Trader and other related provisions) Regulations, 2004 and Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Treatment of income of Other Businesses of Transmission Licensees and Distribution Licensees) Regulations, 2004 and their amendments and re-enactments thereof.

CHAPTER 6

TARIFF

30. Tariff related issues shall be governed by Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Generation Tariff) Regulations, 2019, Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Multi Year Transmission Tariff) Regulations, 2014 and Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Multi Year Distribution Tariff) Regulations, 2014 and their amendments and re-enactments thereof.

CHAPTER 7

CODES AND STANDARDS

31. The Commission may, from time to time, formulate, such codes and standards as the Commission considers appropriate in consultation with the licensees operating in the State and any person likely to be affected by such codes and standards, for the proper and efficient conduct of the electricity sector and operation of the power systems in the State. The Commission may, if it considers appropriate, direct the licensees and generating companies to adopt a code/standard specified by the Commission.
32. The Commission may hold such consultations and proceedings, as the Commission considers appropriate to deliberate on the codes/standards formulated by the licensee.

Shri



ad

33. The Commission shall be entitled to appoint experts to advise the Commission on the codes/standards to be formulated.

34. The Commission may direct such modifications, as it considers appropriate to the codes/standards formulated.

35. The licensees shall implement codes/standards approved by the Commission consistent with the directions and orders made by the Commission from time to time.

36. Without prejudice to the generality of the powers of the Commission in regard to the enforcement of standards of performance in operation of the power system the codes to be formulated and implemented may include-

- a. Grid Code
- b. Electricity Supply Code

CHAPTER 8

STANDARDS OF PERFORMANCE

37. Issues related to Standards of Performance of the licensees shall be governed by Standard of Performance Regulations as specified by the Commission.

CHAPTER 9

RENEWABLE PURCHASE OBLIGATION

38. Issues regarding renewable purchase obligation shall be governed by Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Promotion of Green Energy through Renewable Purchase Obligation) Regulations, 2010 and their amendments and re-enactments thereof.

CHAPTER 10

OPEN ACCESS

39. Issues related to Open Access shall be governed by Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Open Access) Regulations, 2004 and their amendments and re-enactments thereof.



CHAPTER 11

CAPTIVE AND RENEWABLE ENERGY GENERATING PLANTS

40. Issues related to captive and renewable energy generating plants shall be governed by UPERC (Captive and Renewable Energy Generating Plants) Regulations, 2019 (CRE Regulations, 2019) and their amendments and re-enactments thereof.

CHAPTER 12

DEMAND SIDE MANAGEMENT

41. Issues related to demand side management shall be governed by Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Demand Side Management) Regulations 2014 and their amendments and re-enactments thereof.

CHAPTER 13

CONSUMER DISPUTES

42. Issues related to consumer disputes shall be governed by UPERC (Consumer Grievance Redressal Forum & Electricity Ombudsman) Regulations, 2007 and their amendments and re-enactments thereof.

CHAPTER 14

FEES & FINES

43. Issues related to fees accompanied with the petitions, and fines to be imposed in various cases of non-compliance, shall be governed by Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Fees & Fines) Regulations, 2010 and their amendments and re-enactments thereof.

CHAPTER 15

SOLAR ROOFTOP, NET METERING AND GROSS METERING

44. Issues related to Solar Rooftop, Net Metering and Gross Metering shall be governed by UPERC (Rooftop Solar PV Grid Interactive System Gross / Net Metering) Regulations, 2019 (RSPV Regulations, 2019) and their amendments and re-enactments thereof.



CHAPTER 16

FORECASTING, SCHEDULING AND DEVIATION SETTLEMENT OF SOLAR & WIND

45. Issues related to forecasting, scheduling and deviation settlement of solar & wind shall be governed by ABT (Solar & Wind) Regulation 2018 (Forecasting, Scheduling, Deviation Settlement and Related Matters) and their amendments and re-enactments thereof.

CHAPTER 17

GRANT OF CONNECTIVITY TO INTRA-STATE TRANSMISSION SYSTEM

46. Issues related to Grant of Connectivity to Intra-State Transmission System shall be governed by Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Grant of Connectivity to intra-State Transmission System) Regulations, 2010 and their amendments and re-enactments thereof.

CHAPTER 18

AVAILABILITY BASED TARIFF/ DEVIATION SETTLEMENT MECHANISM

47. Issues related to intra state availability-based tariff/ deviation settlement mechanism shall be governed by Intra State Availability Based Tariff/ Deviation Settlement Mechanism Regulations as specified by the Commission.

CHAPTER 19

STATE ADVISORY COMMITTEE

48. Issues related to State Advisory Committee shall be governed by U.P. Electricity Regulatory Commission (Constitution of State Advisory Committee and its Functioning) Regulations - 2004 and their amendments and re-enactments thereof.

CHAPTER 20

MISCELLANEOUS

49. Assistance of Experts:



- a. The Commission may, at any time take the assistance of any Institution , Consultants, Experts, Engineers, Chartered Accountants, Advocates, Surveyors and such other technical and professional persons, as it may consider necessary, and ask them to study, investigate, inquire into any matter or issue and submit reports or furnish any information. The Commission may determine the terms and conditions for engagement of such professionals.
- b. If the report or information obtained in terms of the above Regulations or any part thereof is proposed to be relied upon by the Commission forming its opinion or view in any Proceedings, the parties in the Proceedings shall be given a reasonable opportunity for filing objections and making submissions on the report or information.

50. Withdrawal and Disposal of Petition

- a. If a complainant, at any time before a final Order is passed in any proceeding, satisfies the Commission that there are sufficient grounds for permitting him to withdraw his petition against any or all of the Respondents, the Commission may by order permit the complainant to withdraw the same.
- b. If the Commission is of the opinion that it will not be appropriate to allow the withdrawal of the petition, the Commission may make Orders for the complaint being continued by such other person in the place of the complainant and in such manner as the Commission may consider appropriate.
- c. Where the Commission is of the opinion that the continuance of the proceeding under this Regulation is unnecessary or is an abuse of the process, it may at any stage, terminate the proceeding for reasons to be recorded in writing.

51. Review of the decisions, directions and orders:

- a. Any person aggrieved by a direction, decision or order of the Commission, from which (i) no appeal has been preferred or (ii) from which no appeal is allowed, may file a review, subject to provisions of Civil Procedure Code, within ninety (90) days of the date of the direction, decision or order, as the case may be , to the Commission.
- b. An application for such review shall be filed in the same manner as a Petition under Chapter 2 of these Regulations.
- c. The Commission shall for the purposes of any Proceedings for review of its decisions, directions and

Sh...



Sh...

orders be vested with the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908.

- d. When it appears to the Commission that there is no sufficient ground for review, the Commission shall reject such review Petition.
- e. When the Commission is of opinion that the review application should be granted, it shall grant the same provided that no such application will be granted without previous notice to the opposite side or party to enable him to appear and to be heard in support of the decision or order, the review of which is applied for.

52. Continuance of Proceeding after death, etc.:

- a. Where in any Proceeding any of the parties to the Proceedings dies or is adjudicated as an insolvent or in the case of a Company under liquidation / winding up, the Proceedings shall continue with the successors-in-interest, the executor, administrator, receiver, liquidator or other legal representative of the party concerned.
- b. The Commission may, for reasons to be recorded, treat the Proceedings as abated in case the Commission so directs and dispense with the need to bring the successors-in-interest etc., on the record of the case.
- c. In case any person wishes to bring on record the successors-in-interest etc., the application for the purpose shall be filed within 90 days from the event requiring the successors-in-interest to come on record. The Commission may condone the delay, if any, for sufficient reasons.

53. Proceedings to be open to public:

The Proceedings before the Commission shall be open to the public. However, admission to the hearing room shall be subject to availability of sitting accommodation. Provided that the Commission may, if it thinks fit, and for reason to be recorded in writing, order at any stage of the Proceedings of any particular case that the public generally or any particular person or group of persons shall not have access to or be or remain in the room or building used by the Commission.

54. Applicability of provisions of Indian Penal Code and Criminal Procedure Code:

- a. In accordance with the Section 228 of the Indian Penal Code, 1860, whoever intentionally offers any insult or causes any interruption in any of the Proceedings, shall be punishable with simple imprisonment of six

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

months or fine which may extend to Rs. 1000/- or both.

- b. All Proceedings before the Commission shall be deemed to be judicial Proceedings within the meaning of Sections 193 and 228 of the Indian Penal Code and the Commission shall be deemed to be a civil court for the purposes of Sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973.
- c. The Commission or any Officer, not below the rank of a Gazetted Officer specially authorized in this behalf by the Commission may enter any building or place where the Commission has reason to believe that any document relating to the subject matter of the inquiry may be found, and may seize any such document or take extracts or copies there from subject to the provisions of Section 100 of the Code of Criminal Procedure, 1973, in so far as it may be applicable.

55. Publication of Petition:

- a. Where any application, Petition, or other matter is required to be published under the Applicable Legal Framework or these Regulations or as per the directions of the Commission, it shall unless the Commission otherwise orders or the Applicable Legal Framework or Regulation otherwise provide, be advertised not less than 5 days before the date fixed for hearing. The publication shall be done in not less than one daily newspaper in the English Language and one daily newspaper in Hindi Language having circulation in the area, in such form as directed by the Commission.
- b. Except as otherwise provided, such advertisements shall give a heading describing the subject matter in brief.
- c. Such advertisement to be published shall be approved by the Officer of the Commission designated for the purpose.

56. Issue of orders and practice directions:

Subject to the provisions of the Applicable Legal Framework and these Regulations, the Commission may, from time to time, issue orders and practice directions in regard to the implementation of the Regulations and procedure to be followed and various matters, which the Commission has been empowered by these Regulations to specify or direct.

57. Inherent power of the Commission:

- a. Nothing in these Regulations shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the



Commission to pass such orders as may be necessary for ends of justice or to prevent the abuse of the process of the Commission.

- b. Nothing in these Regulations shall bar the Commission from adopting in conformity with the provisions of the Applicable Legal Framework, a procedure, which is at variance with any of the provisions of these Regulations, if the Commission, in view of the special circumstances of a matter or class of matters and for reasons to be recorded in writing deems it necessary or expedient for dealing with such a matter or class of matters.
- c. Nothing in these Regulations shall, expressly or impliedly bar the Commission to deal with any matter or exercise any power under the Applicable Legal Framework for which no regulation has been framed, and the Commission may deal with such matters and functions in a manner it thinks fit.

58. General power to amend:

- a. The Commission may, at any time and on such terms as to costs or otherwise wise, as it may think fit, amend any defect or error in any Proceeding before it, and all necessary amendments shall be made for the purpose of determining the real question or issue arising in the Proceedings. Provided that if the Commission desires to make amendments or rectifications in order to determine the real question or issue arising the Commission shall provide an opportunity to the parties affected by such amendments or rectifications in order to determine the real question or issue arising the Commission shall provide an opportunity to the parties affected by such amendment or rectification touching the real question or issue to make representations and submissions with respect to the proposed amendment or rectification.
- b. Clerical or arithmetical mistakes in the orders or errors arising therein from any accidental slip or omission may at any time be corrected by the Commission of its own motion or on the application of any of the parties.

59. Power to remove difficulties:

If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these Regulations, the Commission may, by general or special order, do anything not being inconsistent with the provisions of the Applicable Legal Framework, which appears to it to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulties.

60. Regulations to be in addition to and not in derogation of other Regulations of the Commission



These Regulations are in addition to and not in derogation of any provision of the Applicable Legal Framework or any rules or Regulations framed thereunder by the Commission.

61. Extension abridgment of time prescribed:

Subject to the provisions of the Applicable Legal Framework, the time prescribed by these Regulations or by order of the Commission for doing any act may be extended (whether it has already expired or not) or abridged for sufficient reason by order of the Commission.

62. Effect of non-compliance:

Failure to comply with any requirement of these Regulations shall not invalidate any Proceeding merely by reason of such failure unless the Commission is of the view that such failure has resulted in miscarriage of justice.

63. Recovery of Costs / Fines & Penalties:

- a. Subject to such conditions and limitation as may be directed by the Commission, the cost/ fines & penalties of and incidental to all Proceedings shall be awarded at the discretion of the Commission and the Commission shall have full power to determine by whom or out of what funds and to what extent such costs / fines & penalties are to be paid and give all necessary directions for the aforesaid purposes.
- b. The costs / fines & penalties shall be paid within 30 days from the date of the order or within such time as the Commission may, by order, direct. The order of the Commission awarding costs/ fines & penalties shall be executed in the same manner as the decree/ order of a Civil Court.
- c. The Commission may recover any cost / fines & penalties imposed by it on any party or parties to any Proceedings, in the event of any default committed by such party or parties, within the time specified by the Commission by way of disallowance in ARR or as an arrear of land revenue in case of Licensee/Company and as an arrear of land revenue in other cases.

64. Enforcement of orders passed by the Commission:

- a. The Secretary shall ensure enforcement and compliance of the orders passed by the Commission, by the persons concerned in accordance with the provisions of the Applicable Legal Framework and Regulations

Sh



2

and if necessary, may seek the orders of the Commission for directions.

- b. These Regulations including any amendments thereof shall be subject to condition of previous publication and shall be laid before the State Legislature in accordance with applicable law.

65. Repeal and Saving:

- a. Save as otherwise provided in these Regulations, the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations 2004 along with its amendments is hereby repealed.
- b. Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken including any code, notification, inspection or order or notice made or issued or any appointment, confirmation or declaration made or any license, permission, authorization or exemption granted or any document or instrument executed or any direction given under the repealed Regulations shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of the Regulation, be deemed to have been done or taken under corresponding provisions of the Regulations.

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

By order of the Commission
Secretary to Commission

FORM-1
(See Regulation 16)

**BEFORE THE UTTAR PRADESH ELECTRICITY REGULATORY
COMMISSION, LUCKNOW**

Receipt Register No.: _____

Petition No.: _____

(To be filled by the office)

In the Matter of:

(Gist of the purpose of the petition or application, which would include the section(s) of an Act(s) or Code etc. under which the petition is being filed)

AND

In the Matter of:

(Names and full addresses of the petitioner(s) / applicant(s))

Vs.

(Names and full addresses of the respondent(s))

Fact of the case / petition be stated in short

Submission / Ground in support of the case.

Relief clause: Relief prayer made in the petition / Reply to be stated shortly and specifically.

Declaration that there is no case pending in any court of Law / tribunal or arbitrator or any other authority wherein the Petitioner is a party and where issues arising and / or reliefs sought are identical or similar to the issues arising in the matter pending before the Commission.

Place

Date





.....
Signature of the Petitioner /Respondent



FORM-2
(See Regulation 17)

**BEFORE THE UTTAR PRADESH ELECTRICITY REGULATORY
COMMISSION, LUCKNOW**

Receipt Register No.: _____

Petition No.: _____

(To be filled by the office)

In the Matter of:

(Gist of the purpose of the petition or application, which would include the section(s) of an Act(s) or Code etc.
under which the petition is being filed)

AND

In the Matter of:

(Names and full addresses of the petitioner(s) / applicant(s))

Vs.

(Names and full addresses of the respondent(s))

Affidavit verifying the petition / reply / application

I, _____, son of _____ aged _____
residing at _____ do hereby solemnly affirm and declare as under
that:

That I am a Director / Secretary / _____ of
_____ Ltd., the petitioner in the above matter and am duly
empowered and authorized by the said petitioner vide the Power of Attorney dated
_____ to make this affidavit on its behalf. (Note: This paragraph is to be included in
cases where the petitioner is a Company.)

Deponent

Verification:

Verified this day of 2019..... that the contents of paragraph are true on
facts and those of paragraphs are believed to be true and correct upon information received and
believed to be true to the best of my knowledge and belief.



उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, लखनऊ

उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 (1999 की उ.प्र. अधिनियम संख्या 24) की धारा 9 की उपधारा (4) एवम् धारा 52 की उपधारा (1) संपत्ति विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 36) की धारा 174, 181 एवम् 185 (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त समर्थकारी समस्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा अधिसूचना संख्या उ.प्र.वि.नि.आ.

...Secretary-2004-3135.....दिनांक 6th Feb, 2004.....के
अधिक्रमण में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद्वारा निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं,
यथा :

अध्याय 1

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं व्याख्या :

- अ. यह विनियमावली 'उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग' (कार्य संचालन) विनियमावली, 2019 कही जाएगी।
- ब. यह सरकारी गजट में अपने प्रकाशन के दिनांक से उत्तर प्रदेश राज्य में प्रभाव में आयेगी एवं लागू होगी।
- स. उत्तर प्रदेश जनरल क्लॉजेज एक्ट, 1904 (1904 का एक्ट 1) इस विनियमावली की व्याख्या के लिए लागू होगा।

2.. परिभाषाएँ :

- अ. इस विनियमावली में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आपेक्षित न हो-
 - i) "अधिनियम" का तात्पर्य विद्युत अधिनियम, 2003 (संख्या 36 सन् 2003) जैसा कि समय-समय पर संशोधित से है।
 - ii) "अधिनिर्णयन" का तात्पर्य आयोग को प्रस्तुत की गई याचिकाओं पर निर्णय पर पहुँचने की प्रक्रिया से है।
 - iii) "लागू विधिक संरचना" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 के प्रावधानों संपत्ति विद्युत अधिनियम, 2003 के लागू प्रावधानों के साथ असंगत न होने की सीमा तक से है।
 - iv) "अध्यक्ष" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष से है।
 - v) "आयोग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग से है।
 - vi) "विद्युत अधिनियम, 2003" का तात्पर्य अधिसूचित तथा 10 जून, 2003 को प्रभाव में लाये गये केन्द्रीय अधिनियम से है।
 - vii) "सदस्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के सदस्य से है।
 - viii) "सचिव" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के सचिव से है।
 - ix) "याचिका" में सभी याचिकाएँ, आवेदन, शिकायत, याचना, उत्तर, प्रत्युत्तर, परिपूरक अनुनय करना, अन्य दस्तावेज एवम् विलेख सम्मिलित हैं।
 - x) "कार्यवाही" में सभी प्रकृति की कार्यवाही सम्मिलित हैं जिन्हें आयोग लागू विधिक संरचना के अन्तर्गत अपने कार्य के निर्वहन में विचारार्थ रख सकेगा।



- xi) “अधिकारी” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अधिकारी से है।
 - xii) “विनियम” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन विनियमावली, 2019), जैसा की समय-समय पर संशोधित, से है।
 - xiii) “उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 (उ.प्र. अधिनियम संख्या 24 सन् 1999) से है।
- ब. इस विनियमावली में प्रयोग किये गये शब्द या अभिव्यक्तियां, जिन्हें यहां ऊपर परिभाषित नहीं किया गया है, उनका वही अर्थ होगा जैसा की लागू विधिक संरचना में दिया गया है।
- स. मूल विनियमावली अंग्रेजी में है। इसका हिन्दी में अनुवाद किया गया है। किसी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

3. व्याख्या :

- इस विनियमावली की व्याख्या में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आपेक्षित न हो-
- अ. एक वचन अथवा बहुवचन शब्दों में, जैसी स्थिति हो, क्रमशः बहुवचन अथवा एक वचन को सम्मिलित माना जायेगा।
 - ब. विनियम से यहाँ वही संदर्भ निकाला जावेगा, जैसा कि इस विनियमावली में आयोग द्वारा समय-समय पर संशोधित में हो।
 - स. नियमों, विनियमों या मार्गदर्शन के सम्बन्ध में वही अर्थ लगाया जायेगा जैसा कि सभी प्रावधानों सहित समेकित करने, संशोधित करने अथवा ऐसे नियमों, विनियमों अथवा मार्गदर्शनों को बदलने में, जैसी भी स्थिति हो, संदर्भित किया गया हो।

4. आयोग के कार्यालय, कार्यालय समय एवम् बैठकें :

- अ. आयोग के कार्यालयों का स्थान आयोग द्वारा इस हेतु आदेश द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा।
- ब. जब तक कि अन्यथा निर्देशित न किया गया हो आयोग के मुख्यालय एवम् कार्यालय शनिवार, रविवार तथा उ.प्र. सरकार द्वारा अधिसूचित अवकाश दिवसों के अतिरिक्त प्रतिदिन खुलेंगे। आयोग के मुख्यालय एवम् अन्य कार्यालय उस समय खुलेंगे जैसा कि आयोग समय-समय पर निर्देशित करेगा। इस तरह के निर्देश आयोग के कार्यालय और वेबसाइट पर प्रमुखता से दिखाया जायेगा।
- स. जहां किसी कार्य को करने के लिए अन्तिम दिन उस दिन पड़ता है जिस दिन आयोग का कार्यालय बन्द है इसे अगले दिन, जिस दिन कार्यालय खुला हो, किया जा सकेगा।
- द. आयोग सुनवाई हेतु बैठकें मुख्यालय अथवा अन्य किसी स्थान पर, जैसा कि आयोग द्वारा समय एवं दिन विनिर्दिष्ट किया जाये, रख सकेगा।

5. आयोग की भाषा :

- अ. आयोग की कार्यवाही हिन्दी अथवा अंग्रेजी में चलाई जा सकेगी।
- ब. हिन्दी अथवा अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी भाषा में याचिका अभिलेख या अन्य मामले आयोग द्वारा केवल तभी स्वीकार किये जायेंगे जब यह उसके अंग्रेजी अनुवाद के साथ हैं।
- स. कोई अनुवाद जिस पर कार्यवाही हेतु निष्कर्षों द्वारा सहमति है अथवा जिसे किसी भी पक्ष द्वारा उस व्यक्ति के प्रमाणिकता प्रपत्र के साथ प्रस्तुत किया जाय जिसने अंग्रेजी में



अनुवाद किया था, उसे आयोग द्वारा सही अनुवाद के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा।

6. आयोग द्वारा अपनी स्वयं की सील रखना :

- अ. यह स्पष्ट करते हुए एक पृथक सील होगी कि यह आयोग की सील है।
ब. प्रत्येक आदेश अथवा किया हुआ संसर्ग, निर्गत की गई सूचना या आयोग द्वारा प्रदान की गई प्रमाणित प्रति आयोग की सील लगी हुई होगी और सचिव अथवा इस उद्देश्य हेतु नामित अधिकारी द्वारा प्रमाणित की जायेगी।

7. आयोग के अधिकारी :

- अ. आयोग के पास विभिन्न कर्तव्यों के निर्वहन हेतु सचिव, अधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करने का अधिकार होगा। आयोग ऐसे अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये अर्हताएं, अनुभव तथा अन्य नियम एवं शर्तें भी स्पष्ट रूप से बतायेगा।
ब. आयोग राज्य सरकार की स्वीकृति से आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या, प्रकृति एवं वर्ग, सेवा के नियम एवं शर्तें तथा वेतन एवं भत्तों के विस्तृत विवरण दे सकेगा।
स. आयोग अपने कार्यों के निर्वहन में सहायता देने हेतु परामर्शदाताओं की नियुक्ति कर सकेगा।

8. आयोग का सचिव :

- अ. सचिव आयोग का नोडल अधिकारी होगा तथा अध्यक्ष के नियंत्रण के अन्तर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का क्रियान्वयन करेगा।
ब. आयोग, अधिनियम के अन्तर्गत अपने कार्यों के निर्वहन में सचिव से ऐसी सहायता ले सकेगा जैसा यह उचित समझे।
स. उपर्युक्त विधिनियम 8 के उप विनियम (अ) एवं (ब) के प्रावधानों की व्यापकता के पूर्वाग्रह के बिना सचिव को निम्नलिखित विशेष अधिकार होंगे तथा वह निम्नलिखित कर्तव्यों का निष्पादन करेगा, अर्थात्—
i) वह आयोग की सील एवं अभिलेखों को अपनी अभिरक्षा में रखेगा तथा ऐसे कार्यों को करेगा जो कि उसे इस विनियमावली अथवा आयोग द्वारा या अन्यथा अध्यक्ष द्वारा सुपुर्द किये गये हों।
ii) वह सभी याचिकाएं, आवेदन या आयोग से सम्बन्धित संदर्भ प्राप्त करेगा अथवा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा। वह उन दस्तावेजों की छानबीन करेगा या करायेगा जिसमें अंतर विनियम याचिकाएं, अपील, आवेदन या संदर्भ शामिल हैं जो लागू विनियम के संबंध में हैं और उनपर स्पष्टीकरण या सुधार प्राप्त करने और उचित दिशा निर्देश जारी कर सकेगा। ऐसे दस्तावेजों की स्वीकृति या अस्वीकृति के निर्देश वह देगा।
iii) वह इस सम्बन्ध में अपने कार्यों के निर्वहन में आयोग के समक्ष प्रत्येक प्रकरण में विभिन्न पक्षों द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त अभिवचनों की संक्षिप्ति तथा सारांश बनायेगा अथवा बनाने के लिए प्रेरित करेगा।
iv) वह आयोग द्वारा प्रयोग हेतु अधिकारों से सम्बन्धित कार्यवाहियों में आयोग की सहायता करेगा।



- v) वह बैठक हेतु सूचना प्रदान करेगा तथा बैठकों हेतु कार्यसूची तथा आयोग की बैठकों की कार्यवाही का कार्यवृत्त तैयार करेगा।
- vi) वह आयोग द्वारा पारित किये गये आदेशों को प्रमाणित करेगा।
- vii) वह आयोग द्वारा पारित किये गये आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- viii) उसे राज्य सरकार या अन्य कार्यालयों, कम्पनियों अथवा फर्मों या अन्य किसी पक्ष से जैसा कि आयोग द्वारा निर्देशित किया जाये ऐसी सूचना जैसी लागू विधिक संरचना के अन्तर्गत आयोग के कार्यों के कुशल निर्वहन के उद्देश्य के लिए उपयोगी समझी जाये एकत्रित करने का अधिकार होगा तथा उसे कथित सूचनाओं को आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।
- द. आयोग अपने अन्य अधिकारियों को इस विनियमावली के द्वारा सचिव द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों सहित ऐसे कार्यों को प्रात्योजित कर सकेगा। इस उद्देश्य हेतु आयोग नियम एवं शर्तों का विस्तारित विवरण देगा।
- य. सचिव आयोग के अनुमोदन से आयोग के किसी भी अधिकारी को इस विनियमावली या अन्यथा सचिव द्वारा किये जाने वाले किसी कार्य को प्रायोजित कर सकेगा।
- र. सचिव की अनुपस्थिति में, अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया गया आयोग का अन्य अधिकारी सचिव के सभी कार्यों को सम्पादित कर सकेगा।
- ल. प. अधिनियम की धारा 86, धारा 142 तथा धारा 181 के अन्तर्गत प्रयोग किये जाने वाले अधिकारों को छोड़ कर एवं इनके अलावा आयोग लिखित में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा आयोग के किसी अधिकारी को अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे निबन्धन एवं शर्तों के अधीन, यदि कोई ऐसे आदेश में व्यक्त की गई हों, ऐसे अधिकार तथा कार्य सौंप सकेगा जैसा कि यह आवश्यक समझे।
- पप. आयोग को किसी रुचि रखने वाली या प्रभावित किसी पक्ष अथवा सुओ मोटो द्वारा किये गये आवेदन पर सचिव या आयोग के अधिकारियों द्वारा किये गये किसी आदेश अथवा की गयी कार्यवाही की समीक्षा करना, रद्द करना, संशोधित करना, परिवर्तन करना, सुधारना, बदल देना या अन्यथा निकालने का अधिकार होगा।
- पपप. सचिव को देय वेतन एवं भत्ते तथा सेवा के नियम एवं शर्तें वही होंगी जैसा कि आयोग द्वारा राज्य सरकार की संस्तुति से विनिर्दिष्ट की जाती हैं।

9. उपभोक्ता संघ :

- अ. आयोग सक्षम होगा कि वह किसी संघ अथवा अन्य निगमित संस्थाओं या उपभोक्ताओं के किसी वर्ग को आयोग के समक्ष किसी कार्यवाही में सहभागिता की प्रकृति सीमा सहित ऐसे निबन्धन एवं शर्तों पर अनुज्ञता दे जैसा कि आयोग उपयुक्त समझे। आयोग किसी भी व्यक्ति को कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दे सकता है यदि आयोग पाता है कि उसकी भागीदारी कार्यवाही के लिए उपयोगी है।
- ब. आयोग, जैसे और जब उपयुक्त समझे, आयोग के समक्ष अभ्यावेदन के ऐसे उद्देश्य के लिए एक पंजीकृत उपभोक्ता संघ के रूप में संघ, वर्ग, फोरम, या निगमित संस्थाओं को मान्यता के लिए एक कार्यप्रणाली अधिसूचित कर सकेगा। आयोग कार्यवाही को



स. आयोग किसी अधिकारी अथवा अन्य किसी व्यक्ति को सामान्य उपभोक्ता या श्रेणी या श्रेणियों के हित का प्रतिनिधित्व करने के लिए, जैसा कि आयोग उचित समझे नियुक्ति कर सकेगा।

द. आयोग, उपभोक्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त व्यक्ति (अधिकारी से अतिरिक्त) को ऐसे पक्षों के द्वारा कार्यवाही में ऐसा शुल्क, लागत एवं व्यय का भुगतान करने के लिए, जैसा कि आयोग उपयुक्त समझे निर्देश कर सकेगा।

आयोग के समक्ष कार्यवाही सम्बन्धी सामान्य नियम

अ. आयोग ऐसी कार्यवाही को समय-समय पर अपने अधिकार में रखेगा जैसा कि यह लागू विविध सरंचना के अन्तर्गत अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उचित समझेगा। आयोग एक अधिकारी अथवा अन्य किसी व्यक्ति को जिसे आयोग कार्यवाही में आयोग के प्रतिनिधि के रूप में मामले का प्रतिनिधित्व करने हेतु उपयुक्त समझता है, नियुक्त कर सकेगा।

ब. लागू विधिक संरचना के अन्तर्गत अपने कर्तव्यों के निर्वहन में आयोग समय-समय पर सुनवाई, कार्यवाही, बैठकें, विवेचना, सोच-विचार, जांच-पड़ताल एवं परामर्श जैसा कि यह उचित समझे करेगा।

स. कार्यवाही का ससमय एवं शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने हेतु आयोग किसी कार्यवाही के लिए निम्नलिखित सहित, किन्तु इन तक सीमित नहीं, उचित कार्यवाही अपना सकेगा।

i- मुकदमों की सुनवाई के लिए प्रकरणों का सामूहिकीकरण।

ii- उपभोक्ता पक्षों की एक श्रेणी के लिए संयुक्त अभिवचन, शपथ पत्र एवं प्रमाण प्रलेख प्रस्तुत करने तथा ऐसे पक्षों की श्रेणी के मुकदमों को भी प्रस्तुत करने हेतु प्रतिनिधि नियुक्त करना।

iii- विशिष्ट विवादों पर प्रमाण या परामर्श अथवा अभिमत खोजना : एवं / या

iv- अमिकस क्यूरी नियुक्त करना।

अ. सभी कार्यविधि सम्बन्धी प्रकरणों एवं आयोग की मुकदमों के निर्णय सम्बन्धी कार्यवाही के लिए भी सामान्यता आयोग का कोरम तीन सदस्यों के मध्य दो होगा। आयोग की किसी बैठक/कार्यवाही के समक्ष आने वाले सभी प्रश्नों को उपस्थित एवं वोटिंग सदस्यों के मतों के बहुमत से निर्णित किया जायेगा तथा मतों की समानता की स्थिति में अध्यक्ष के पास एक अतिरिक्त चयन करने वाला मत होगा। यहां ऊपर दिये गये को अन्यथा छोड़कर, प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा।



- ब. ऐसी स्थिति में जब अध्यक्ष तथा/या सदस्यों में कोई एक पद खाली है तथा एक सदस्य सात कार्य दिवसों से अधिक अवधि के लिए अवकाश पर चला जाता है, आयोग की सभी कार्यविधि सम्बन्धी तथा मुकदमों के निर्णय सम्बन्धी कार्यवाही के लिए उस अवधि के लिए कोरम एक सदस्य का होगा।
- स. आयोग निर्देश कर सकेगा कि विशिष्ट मामलों या प्रकरणों को आयोग की पूर्ण संख्या से कम द्वारा गठित बेन्च द्वारा सुना एवं निर्णीत किया जा सकेगा। यद्यपि, ऐसी स्थिति में अध्यक्ष तथा/या सदस्यों में से एक पद रिक्त है एवं एक सदस्य को सात कार्यदिवसों से अधिक अवधि के लिए अवकाश पर प्रस्थान करता है तब दो सदस्य अर्थात् आयोग में पीछे रुकने वाला तथा अवकाश पर प्रस्थान कर रहा सदस्य निर्देश कर सकेगा कि विनिर्दिष्ट मामले या प्रकरण एक सदस्य अर्थात् आयोग में पीछे रुकने वाले सदस्य द्वारा सुने जा सकेंगे। किन्तु अधिनियम की धारा 142 के अन्तर्गत कार्यवाही तक सीमित नहीं होंगे।
- द. आयोग अपने किसी सदस्य को धारा 143 एवं 144 के प्रावधानों के अन्तर्गत जांच करने हेतु निर्णायक अधिकारी नियुक्त कर सकेगा।

12. रिक्तियां, आदि कार्यवाही को अमान्य नहीं करेंगी :

आयोग के किसी कार्य या कार्यवाही पर किसी रिक्त पद अथवा आयोग के गठन में मात्र कमी के अस्तित्व के आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जायेगा अथवा अमान्य नहीं किया जायेगा।

13. प्रतिनिधित्व करने का अधिकार :

- अ. कोई व्यक्ति, किसी अधिवक्ता अथवा अभ्यास का प्रमाण-पत्र धारण कर रही व्यवसायिक संस्था के सदस्य को, जैसा कि आयोग समय-समय पर स्पष्ट करे, आयोग के समक्ष उसकी ओर से उसका प्रतिनिधित्व करने एवम् कार्य तथा अभिवचन करने के लिये अधिकृत कर सकेगा। ऐसा व्यक्ति स्वयं को भी अथवा अपनी ओर से अपने किसी कर्मचारी को आयोग के समक्ष प्रस्तुत होने तथा कार्य करने एवं अभिवचन करने हेतु अधिकृत कर सकेगा। आयोग समय-समय पर नियम एवं शर्तें स्पष्ट कर सकेगा जिसके अधीन कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपनी ओर से कार्य करने एवं अभिवचन करने के लिए अधिकृत कर सकेगा।
- ब. सामान्यतः आयोग के समक्ष प्रारम्भ की गयी कार्यवाही व्यक्ति की स्थिति में याचिका प्रस्तुत कर्ता तथा कम्पनी की स्थिति में विशेष या सामान्य प्रस्ताव द्वारा निदेशक मण्डल से अधिकार-पत्र रखने वाले किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित की जानी चाहिए।

14. कार्यवाही का प्रारम्भ :

- अ. आयोग कोई कार्यवाही सुओ मोटो अथवा किसी प्रभावित व्यक्ति द्वारा दायर की गयी याचिका पर प्रारम्भ कर सकता है।
- ब. जब आयोग कार्यवाही प्रारम्भ करता है यह आयोग के कार्यालय से सचिव के माध्यम से निर्गत सूचना के द्वारा होगा तथा आयोग ऐसे आदेश एवं निर्देश दे सकता है जैसा कि प्रभावित पक्षों को विशेष या याचिका के पक्ष में ऐसे स्वरूप में



उत्तर एवं रिज्वाइन्डर फाइल करने के लिए, जैसा आयोग सूचना देने के लिए उचित समझे आदेश दे। आयोग यदि यह उचित समझता है, कार्यवाही में अन्तरनिहित प्रकरणों पर टिप्पणियां आमंत्रित करने हेतु याचिका को विज्ञापित करने के लिए ऐसे स्वरूप में जैसा कि आयोग निर्देश दे, आदेश निर्गत कर सकता है।

स. जांच की सूचना निर्गत करते समय, आयोग उपर्युक्त प्रकरणों में, आयोग के अधिकारी या अन्य किसी व्यक्ति को जिसे आयोग ऐसे पक्ष की हैसियत के रूप में मामलों में उपस्थित होने के उपयुक्त समझता है, जो अपना प्रतिनिधि नियुक्त करना बर्दाश्त नहीं कर सकता, नामित कर सकता है।

15. आयोग के समक्ष याचिकाएं एवं समर्थन में अधिवचन :

अ. आयोग के समक्ष फाइल की जाने वाली सभी याचिकाएं टाइप की हुई स्वच्छता पूर्वक एवं एक ओर सफेद कागज पर पठनीय छपी हुई तथा प्रत्येक पृष्ठ क्रमानुसार अंक डाला हुआ होगा याचिका की विषयवस्तु उचित प्रकार से प्रथक पैराग्राफों में विभाजित होनी चाहिए जो क्रमवार अंक डाली हुई होगी। याचिका ऐसी दस्तावेजों एवं विवरणों के साथ होगी जैसा कि आयोग स्पष्ट करे। याचिका एवं साथ के दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ याचिकाकर्ता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए।

याचिका दायर करने का प्रावधान इलेक्ट्रॉनिकली (ई-फाईलिंग) भी होगा। ई-फाईलिंग प्रक्रिया प्रथक रूप से निर्गत की जायेगी।

ब. सभी याचिकाओं की संक्षिप्ति/सारांश, प्रकरण, मुकदमा, विधि को संदर्भित तथा उसमें मांगी गयी राहत सम्मिलित होगी तथा निम्नलिखित विस्तारित ब्यौरों का वर्णन होगा :

- i- वैधानिक प्रावधान जिसके अन्तर्गत याचिका आयोग के समक्ष दायर की जा रही है।
- ii- याचिका को जांचने, विचार करने तथा निपटा देने का आयोग को क्यों अधिकार है के कारण।
- iii- क्या याचिका लिमिटेशन अधिनियम, 1996 में निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत दायर की गयी है और यदि नहीं, तो देरी की अवधि तथा यदि याचिकाकर्ता विलम्ब के लिए क्षमा मांग रहा है तो किस आधार पर।

16. सामान्य शीर्षक :

आयोग के समक्ष समस्त याचिकाओं तथा समस्त विज्ञापनों एवं सूचनाओं में सामान्य शीर्ष इन विनियमों के साथ संलग्न किये गये (अनुलग्नक-1) उ.प्र.वि.नि.आ.-प्रपत्र-1 अथवा आयोग द्वारा समय-समय पर अन्यथा निर्धारित किये गये के अनुसार होगी।

17. समर्थन में शपथ-पत्र :

अ. दायर की गयी प्रत्येक याचिका शपथ-पत्र द्वारा सत्यापित की जायेगी तथा ऐसा प्रत्येक शपथ-पत्र इस विनियामावली के साथ उ.प्र.वि.नि.आ.-प्रपत्र-2 अथवा आयोग द्वारा समय-समय पर अन्यथा निर्धारित किये गये अनुसार होगा।

परन्तु यह कि आयोग उन मामलों में शपथ-पत्र की आवश्यकता को छोड़ सकता है जहां यह आवश्यक समझता है।



स. प्रत्येक शपथ-पत्र प्रथम पक्ष के रूप में तैयार किया जायेगा। शपथी का पूरा नाम, आयु, व्यवसाय एवं पता और हैसियत, जिसमें वह हस्ताक्षर कर रहा है, का वर्णन होगा तथा शपथ लेने एवं प्राप्त करने हेतु विधिक रूप से अधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ-पत्र हस्ताक्षरित किया जायेगा। शपथी यह भी घोषित करेगा कि किसी विधिक न्यायालय/न्यायाधिकरण या मध्यस्थ अथवा किसी अन्य प्राधिकारी जिसमें शपथी एक पक्ष है के समक्ष कोई वाद लम्बित नहीं है तथा जहां उत्पन्न हो रहे विवादों एवं/अथवा मांगी गयी राहत बिल्कुल वही या समान है जैसी कि आयोग के समक्ष लम्बित प्रकरणों से उत्पन्न हो रहे विवादों में है, शपथ राज्य सरकार द्वारा भारतीय स्टाम्प एक्ट, 1899 के समय-समय पर संशोधित प्रावधानों के अनुसार शपथ-पत्रों के लिए निर्धारित मूल्य के स्टैम्प पेपर पर टाइप की हुई होगी।

द. प्रत्येक शपथी स्पष्ट रूप से तथा पृथक रूप से स्पष्ट करेगा कि कथन निम्नानुसार सत्य

है :

i- शपथी की जानकारी।

ii- शपथी द्वारा प्राप्त की गयी सूचनाओं : एवं

iii- शपथी के विश्वास में।

य. शपथ-पत्र में जहां कोई विवरण शपथी द्वारा प्राप्त की गयी सूचना के अनुसार सत्य कहा गया है, शपथी सूचना का स्रोत तथा विवरण की सूचना के सत्य होने पर विश्वास करता है, का भी प्रकटन करेगा।

र. भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 193 के अनुसार जो कोई जान-बूझकर आयोग की किसी कार्यवाही में असत्य साक्ष्य देता है अथवा किसी कार्यवाही में प्रयोग किये जाने के उद्देश्य से मिथ्या साक्ष्य तैयार करता है निश्चित काल के लिए कारावास सहित दण्डित किया जायेगा, जिसे सात वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा एवं अर्धदण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।

18. अभिवचन आदि का प्रस्तुतिकरण एवं परीक्षण :

अ. सभी याचिकायें उन्हें सम्मिलित करते हुए जो इलेक्ट्रॉनिक मेल से भेजी गयीं, 5 प्रतियों में दायर की जायेगी एवं याचिका का प्रत्येक समूह सर्वथा पूर्ण होगा। शुल्क जैसा कि आयोग द्वारा उ.प्र.वि.नि.आ. (फीस एण्ड फाइन) विनियमावली, 2010, जैसा कि समय-समय पर संशोधित में निर्धारित किया गया है, याचिका के साथ देय होगा। अग्रेतर, मुकदमों में जहां कोई लाइसेन्स या अनुबन्ध जिसके लिए आयोग के समक्ष दायर किया जा रहा है, अनुमोदन मांगा जा रहा है, एक साफ्ट कापी पीडीएफ, वर्ड/एक्सेल फारमेट में याचिका के साथ दाखिल की जायेगी।

ब. सभी याचिकायें उचित रूप से अथवा किसी अधिकृत अभिकर्ता अथवा मुख्यालय पर प्रतिनिधि अथवा ऐसे अन्य फाइलिंग सेंटर या सेंट्रों पर प्रस्तुत की जायेगी जैसा की अधिसूचना समय के दौरान समय-समय पर आयोग द्वारा सूचित की जायेगी। याचिकाएं उपर्युक्त वर्णित स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक, रजिस्टर्ड पोस्ट एकनालिजमेन्ट ड्यू द्वारा भी भेजी जा सकेगी। अधिवक्ता के पक्ष में वकालतनामा







तथा स्थिति में जहां याचिकाएं अभिकर्ता या प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं, अभिकर्ता या प्रतिनिधि को अधिकृत करने वाले अभिलेखों को याचिका के साथ दाखिल किया जायेगा- यदि पूर्व में मुकदमें के अभिलेखों के साक्ष्य दाखिल नहीं किये गये हैं।

- स. याचिका की प्राप्ति पर याचिका अधिकारी/कर्मचारी को स्टाम्प लगाकर एवं तिथि को पृष्ठांकित करके, जिस पर याचिका प्रस्तुत की गयी है, स्वीकार करेगा एवं याचिका फाइल करने वाले व्यक्ति को स्टाम्प एवं तिथि के साथ स्वीकृति निर्गत करेगा। याचिका रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा प्राप्त होने की स्थिति में आयोग के कार्यालय पर वास्तविक प्राप्ति की तिथि याचिका के प्रस्तुतिकरण की तिथि के रूप में स्वीकार की जायेगी।
- द. याचिका की प्रस्तुति एवं प्राप्ति आयोग के कार्यालय द्वारा इस उद्देश्य से रखे गये रजिस्टर में विधिवत दर्ज की जायेगी।
- य. याचिका अधिकारी किसी याचिका, जो लागू विधिक संरचना के प्रावधानों अथवा आयोग द्वारा दिये गये विनियमों अथवा निर्देशों के अनुरूप नहीं है या अन्यथा त्रुटिपूर्ण है या जो आयोग के विनियमों या निर्देशों की अनुरूपता से अन्यथा प्रस्तुत की जाती है, को लेने से मना कर सकेगा।
- र. परन्तु यह कि किसी याचिका को अभिवचनों अथवा प्रस्तुति में त्रुटि के लिए याचिका दायर करने वाले व्यक्ति को याचिका अधिकारी द्वारा लिखित में सूचना प्रेषित करने की तिथि से पन्द्रह (15) दिवसों की अवधि के अन्दर त्रुटि सुधार करने का अवसर दिये बिना अस्वीकार नहीं किया जायेगा।
- ल. याचिका अधिकारी से त्रुटि की सूचना प्राप्त होने पर याचिका दायर करने वाला व्यक्ति निर्दिष्ट अवधि के अन्दर त्रुटि का सुधार सकेगा, अथवा यदि याचिका अधिकारी के किसी आदेश द्वारा व्यक्ति व्यथित है तब वह उपयुक्त आदेश के लिये आयोग के सचिव के समक्ष मामले को प्रस्तुत किये जाने के लिए अनुरोध कर सकेगा।
- व. अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य, जैसा कि अध्यक्ष इस उद्देश्य हेतु नामांकित करे, पक्ष द्वारा प्रस्तुत याचिका की मांग करने का अधिकारी होगा तथा याचिका के लिए प्रस्तुति एवं स्वीकृति के ऐसे सम्बन्ध में पक्ष से प्राप्त हुए अनुरोध की प्राप्ति की तिथि से सात (7) कार्य दिवसों की अवधि के अन्दर ऐसे निर्देश देगा जैसा वह उचित समझता है।
- श. यदि जांच के पश्चात याचिका स्वीकार की जाती है अथवा यदि अस्वीकृति के कोई आदेश सचिव अथवा अध्यक्ष द्वारा या इस उद्देश्य के लिए नामांकित आयोग के सदस्य द्वारा ठीक किया जाता है, याचिका को यथावत पंजीकृत किया जायेगा तथा आयोग द्वारा अनुसरण की गयी पद्धति के अनुसार एक संख्या प्रदान की जायेगी।
- स. जैसे और जब याचिका और सभी आवश्यक अभिलेख दायर कर दिये जाते हैं, त्रुटियां एवं आपत्तियां, यदि कोई, दूर कर दी जाती हैं तथा याचिका की जांच की जा चुकी है तथा संख्या प्रदान की जा चुका है, याचिका आयोग के समक्ष जितनी



शीघ्र सम्भव हो सके प्रवेश के लिए प्रस्तुत की जा सकेगी, परन्तु यह कि अन्तिम रहत चाहने वाली याचिकाएं सूचना देने के पश्चात सात (7) दिनों के अन्दर आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जायेंगी।

ह. आयोग पक्ष की उपस्थिति के बिना सुनवाई के लिए याचिका स्वीकार कर सकेगा। आयोग सम्बन्धित पक्ष को सुनवाई का अवसर दिए बिना प्रवेश की अस्वीकृति का आदेश पारित नहीं करेगा।

श्र. यदि आयोग याचिका स्वीकार करता है, यह ऐसे आदेश एवं निर्देश दे सकेगा जैसा कि प्रतिवादी एवं अन्य प्रभावित या स्वार्थ निहित पक्षों को याचिका के विपक्ष या पक्ष में, जैसा कि आयोग द्वारा निर्देशित किया जाये, उस फार्म में उत्तर एवं रिजवाइन्डर दाखिल करने हेतु नोटिस की तामील के लिए आवश्यक समझा जायेगा।

याचिका स्वीकार हो जाने के पन्द्रह (15) दिनों के अन्दर प्रतिवादी को नोटिस निर्गत किया जायेगा तथा आवेदनकर्ता याचिका के सभी पक्षों को नोटिस तामील करने की कार्यवाही करेगा।

19. नोटिसों की तामील तथा आयोग द्वारा निर्गत प्रक्रियाएं :

अ. पद्ध आयोग द्वारा निर्गत की जाने वाली कोई सूचना या प्रक्रिया निम्नलिखित में से एक या अधिक प्रणालियों द्वारा, जैसा कि आयोग द्वारा निर्देशित किया गया हो, तामील की जा सकेगी-

- 1- कार्यवाही के किसी पक्ष द्वारा तामील,
- 2- संदेश वाहक के माध्यम से हाथ से सुपुर्दगी,
- 3- पावती सहित पंजीकृत डाक द्वारा,
- 4- फैंक्स, इलैक्ट्रानिक मेल, स्पीड पोस्ट, कोरियर या चरपा किये जाने द्वारा,
- 5- ऐसी परिस्थितियों में जहाँ आयोग संतुष्ट है कि उपर्युक्त वर्णित ढंग में किसी व्यक्ति पर सूचना आदि प्रक्रियाएँ तामील करना समुचित रूप से व्यवहार्य नहीं है समाचार-पत्र में प्रकाशन द्वारा।
- 6- किसी अन्य विधि से जैसा आयोग उचित समझे।

;पद्ध फिर भी आयोग प्रत्येक प्रकरण में व्यक्ति (व्यक्तियों) को चिन्हित करने का अधिकारी होगा जो ऐसे तामील/प्रकाशन की लागत वहन करेगा।

ब. प्रत्येक सूचना अथवा प्रक्रिया जिनसे किसी व्यक्ति पर तामील या सुपुर्द किया जाना आवश्यक है उस व्यक्ति अथवा उसके अभिकर्ता पर तामील के लिए उसके द्वारा दिये गये पते के उस स्थान पर जहाँ वह व्यक्ति या उसका अभिकर्ता सामान्यतः निवास करता है अथवा व्यवसाय करता है या लाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है तामील हेतु भेजा जा सकेगा।

स. ऐसी स्थिति में जहाँ मामला आयोग के समक्ष लम्बित है तथा तामील किये जाने वाला व्यक्ति किसी अभिकर्ता या प्रतिनिधि को उपस्थित होने के लिए या मामले में अपने आप का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत करता है, ऐसा अभिकर्ता अथवा प्रतिनिधि सम्बन्धित पक्ष की ओर से सभी मामलों में सूचनाओं तथा प्रक्रियाओं की पावती लेने



Sh.

Sh.

- के लिए यथावत अधिकार प्रदत्त माना जायेगा तथा ऐसे अभिकर्ता या प्रतिनिधि पर तामील सम्बन्धित व्यक्ति पर उचित तामील के रूप में मानी जायेगी।
- द. जहां कोई पक्ष कार्यवाही की सूचना व्यक्तिगत रूप से अथवा पंजीकृत डाक द्वारा तामील करता है, पक्ष द्वारा आयोग के पास आंकड़ों तथा नोटिस एवं प्रक्रियाओं के ढंग के विवरण देते हुए एक शपथ-पत्र दाखिल किया जायेगा।
- य. जहां किसी याचिका को विज्ञापित किया जाना आवश्यक है जैसा कि आयोग निर्देश करे तथा जब तक आयोग द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया जाये इसे ऐसे समय के अन्दर आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट क्षेत्र में प्रसार रखने वाले अंग्रेजी भाषा में एक दैनिक समाचार-पत्र तथा हिन्दी भाषा में एक दैनिक-समाचार पत्र के एक संस्करण में विज्ञापित किया जायेगा।
- र. लागू विधिक संरचना अथवा विनियमावली में जैसा अन्यथा प्राविधानित है, को छोड़कर तथा किसी निदेश के अनुसार जिसे आयोग या सचिव अथवा इस उद्देश्य हेतु नामांकित व्यक्ति, यथा याचिकाकर्ता, प्रार्थी या अन्य व्यक्ति, जिसे आयोग कार्यवाही के संचालन हेतु उत्तरदायी बनाता है, सभी सूचनाओं, सम्मनों तथा अन्य प्रक्रियाओं तथा तामील किये जाने के लिये आवश्यक एवं प्रक्रियाओं की सूचनाओं के विज्ञापन एवं प्रकाशन की व्यवस्था करेगा। आयोग तामील को प्रभावी कर सकेगा अथवा तामील को प्रभावित करने के लिए किसी अन्य तरह से निर्देश दे सकेगा जैसा कि यह उचित विचारित करता है।
- ल. आयोग की विनियमावली या निर्देशों की सूचना, सम्मन या प्रक्रियाओं के तामील या उसके विज्ञापन तथा प्रकाशन के सम्बन्ध में आवश्यकताओं के अनुपालन की चूक में आयोग या तो याचिका खारिज कर सकेगा अथवा ऐसे अन्य अग्रिम निर्देश देगा जैसा आयोग उचित समझता है।
- व. तामील किये जाने के लिए सूचना प्रदान करने या प्रकाशन में व्यक्ति के नाम या विवरण में किसी त्रुटि के कारण उसे अमान्य नहीं माना जायेगा, परन्तु यह कि अन्यथा आयोग संतुष्ट है कि ऐसी तामील पर्याप्त है एवं कोई कार्यवाही किसी त्रुटि या अनियमितता के कारण अमान्य नहीं होगी जब तक कि आयोग की गयी आपत्ति के इस अभिमत का है, कि ऐसी त्रुटि या अनियमितता द्वारा पर्याप्त अन्याय हुआ है अथवा ऐसा करने के लिए अन्यथा पर्याप्त कारण हैं।
- 20. उत्तर, विरोध, आपत्तियां दाखिल करना :**
- अ. प्रत्येक व्यक्ति जिसे जांच की सूचना या याचिका निर्गत की जाती है (इसके पश्चात् प्रतिवादी) जो याचिका का विरोध या समर्थन करने का इरादा रखता है उत्तर एवं विश्वसनीय दस्तावेज चार (4) सप्ताह से अधिक नहीं की उस अवधि में, जैसी कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाती है, ऐसी प्रतियों की संख्या में दाखिल करेगा जैसा आयोग द्वारा निश्चित की जाएगी। दाखिल किए गए उत्तर में प्रतिवादी जांच की सूचना या याचिका में व्यक्त किये गए तथ्यों को विशिष्ट रूप से स्वीकार, अस्वीकार या स्पष्ट करेगा एवं ऐसे अतिरिक्त तथ्यों को व्यक्त कर सकेगा जैसा वह प्रकरण के उचित निर्णय के लिए आवश्यक समझता है। उत्तर शपथ-पत्र द्वारा ऐसी विधि में जैसा कि याचिका के सम्बन्ध में की जाती है, हस्ताक्षरित, सत्यापित एवं समर्थित की जायेगी।

Sh-



2

प्रतिवादी यह भी सूचित करेगा कि वह कार्यवाही में भाग लेने या मौखिक रूप से सुनने की इच्छा रखता है।

- ब. प्रतिवादी विधिवत सत्यापित प्रतियों के रूप में अभिलेखों के साथ उत्तर की एक प्रति याचिकाकर्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को तामील करायेगा तथा उत्तर दाखिल करते समय आयोग के कार्यालय में ऐसी तामील का प्रमाण दाखिल करेगा।
- स. जहां प्रतिवादी अतिरिक्त तथ्यों को व्यक्त करता है जो प्रकरण के उचित निर्णय के लिए आवश्यक हैं, आयोग याचिकाकर्ता को प्रतिवादी द्वारा फाइल किये गये उत्तर का रिज्वाइन्डर चार (4) सप्ताह की अवधि के अन्दर और इसके पश्चात ऐसी अवधि जैसी कि आयोग विनिर्दिष्ट करता है, फाइल करने की अनुमति दे सकता है। उत्तर दाखिल करने के लिए उपर्युक्त वर्णित की गयी कार्यवाही रिज्वाइन्डर प्रस्तुत करने हेतु लागू होगी।
- द. (प) प्रत्येक व्यक्ति जो प्रयोजन के लिए निर्गत किये गये विज्ञापन क्या प्रकाशन के आधार पर आयोग के समक्ष लम्बित प्रकरण के सम्बन्ध में आपत्तियां या टिप्पणियां दाखिल करने का इरादा रखता है (उस व्यक्ति के अतिरिक्त जिसे उत्तर मांगने हेतु सूचना, प्रक्रियाएँ आदि निर्गत की गयीं) अभिप्राय हेतु आयोग द्वारा नामांकित किये गये अधिकारी को आपत्तियों या टिप्पणियों का विवरण अभिलेखों तथा उनके समर्थन में साक्ष्य की प्रतियों के साथ इस उद्देश्य हेतु नियत समय के अन्दर तथा यदि कोई समय विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है अभिप्राय के लिए निर्गत किए गए विज्ञापन/प्रकाशन की तिथि से चार (4) सप्ताहों से अधिक अवधि, नहीं अथवा ऐसी अवधि, जैसी आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाती है, सुपुर्द करेगा।
- (पप) आयोग ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जो जैसा अनुच्छेद (प) में प्रदान प्रावधान है आपत्ति या टिप्पणियां दाखिल करता है या कोई अन्य व्यक्ति जैसा आयोग उचित समझता है, आयोग के समक्ष भागीदारी हेतु ऐसी स्थिति में जब आयोग समझता है कि ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों की भागीदारी कार्यवाही एवं मामले के निर्णय में मदददार होगी अनुमति दे सकेगा।
- (पपप) जब तक आयोग द्वारा अनुमति न दी जाए, आपत्ति या टिप्पणियां दाखिल करने वाला व्यक्ति कार्यवाही में भागीदारी हेतु अधिकृत नहीं होगा। आयोग व्यक्तियों द्वारा दाखिल आपत्तियों एवं टिप्पणियों पर कार्यवाही में पक्षों को ऐसा अवसर देने के पश्चात् जैसा कि आयोग आपत्तियों एवं टिप्पणियों के साथ कार्यवाही हेतु उचित समझता है, विचार करने हेतु अधिकृत होगा।

21. मामले की सुनवाई :

- अ. आयोग मामले की सुनवाई का स्तर, विधि, स्थान एवं समय, जैसा कि आयोग उचित समझता है ऐसी विशिष्ट समय निर्धारण आवश्यकताओं के समान जो लागू विधिक संरचना में बतायी गयी हैं अथवा अन्यथा मांगी गयी राहत को ध्यान में रखते हुए, मामलों की ससमय पूर्णता हेतु निर्धारित कर सकता है।
- ब. पक्ष आयोग मामलों को पक्षों द्वारा दाखिल किये गये वचनों एवं अभिलेखों पर निर्णय ले सकता है तथा मामले में पक्षों से शपथ-पत्र के माध्यम या प्रमुख



मौखिक साक्ष्य द्वारा, जैसा आयोग उचित समझे, साक्ष्य प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है।

पपद्ध यदि आयोग पक्ष के साक्ष्य को शपथ-पत्र के माध्यम से प्रतिनिधित्व हेतु निर्देशित करता है, आयोग जैसे और जब आयोग इसे आवश्यक समझता है अन्य पक्षों को शपथी के दाखिल किये गये शपथ-पत्र पर जिरह करने हेतु अवसर प्रदान कर सकता है।

पपद्ध आयोग यदि आवश्यक या व्यवहारिक समझता है किन्हीं पक्षों के साक्ष्य को नामांकित अधिकारी या व्यक्ति द्वारा आयोग के प्रयोजन के लिए अभिलेखबद्ध करने हेतु निर्देश दे सकता है।

पपद्ध आयोग पक्षों को आयोग द्वारा किसी प्रकरण में सुने गये तर्कों या प्रस्तुति को लिखित में दाखिल करने हेतु निर्देश दे सकता है।

22. अग्रिम सूचना, साक्ष्य आदि मांगे हेतु आयोग का अधिकार :

- अ. आयोग विषय पर आदेश पारित करने से पूर्व पक्षों तथा उनमें से किसी एक या अधिक अथवा किसी अन्य व्यक्ति जिसे आयोग उचित समझता है ऐसे प्रलेख-सम्बन्धी अथवा अन्य साक्ष्य, जैसा कि आयोग आदेश पारित करने हेतु इसे समर्थ बनाने के उद्देश्य के लिए आवश्यक समझता है, प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है।
- ब. आयोग गवाहों, खोजी गयी वस्तु या किसी अभिलेख के प्रदर्शन या साक्ष्य में प्रस्तुति योग्य अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं, किसी कार्यालय से किसी सार्वजनिक अभिलेख की मांग, आयोग के अधिकारी द्वारा परीक्षण, किसी व्यक्ति के अधिकार या नियंत्रण में पुस्तकें, लेखे या अन्य दस्तावेज या सूचना, जिसे आयोग प्रकरण के लिए सम्बद्ध मानता है, सम्मन भेजन हेतु निर्देश दे सकता है।

23. प्रकरणों को अन्य से संदर्भ करना :

- अ. कार्यवाही के किसी स्तर पर आयोग विषय में ऐसा मुद्दा या मुद्दे, जैसा वह उचित समझता है, व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए, किन्तु अधिकारियों एवं आयोग के परामर्शदाताओं तक सीमित नहीं, जिसे आयोग विशेष परामर्श योग्य समझता है, संदर्भित करने का हकदार होगा।
- ब. आयोग समय-समय पर किसी व्यक्ति सहित, किन्तु अधिकारी एवं परामर्शदाताओं तक सीमित नहीं को किसी स्थान या स्थानों के निरीक्षण हेतु तथा स्थान के अस्तित्व अथवा हैसियत या उसमें किन्हीं सुविधाओं पर रिपोर्ट देने के लिए मनोनीत कर सकता है।
- स. आयोग यदि यह उचित समझता है पक्षों को ऊपर अनुच्छेद (अ) या (ब) में नामांकित व्यक्तियों के समक्ष संदर्भित प्रकरणों या विषयों पर अपने-अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित होने का निर्देश दे सकता है।
- द. ऐसे व्यक्ति से प्राप्त हुई सूचना या अभिमत प्रकरण के अभिलेख का भाग बनेगी तथा आयोग द्वारा नामांकित किये गये व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट या अभिमत की प्रतियां पक्षों को दी जायेंगी। रिपोर्ट या अभिमत के समर्थन में या विरोध में पक्ष अपना वृत्तान्त दाखिल करने हेतु अधिकृत होंगे।



2

य. आयोग विषय का निर्णय करते समय व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट या अभिमत, प्रकरण का निर्णय करते समय पक्षों द्वारा दाखिल किया गया उत्तर एवं यदि आवश्यक समझता है रिपोर्ट या अभिमत दे रहे व्यक्ति के आयोग के समक्ष परीक्षण पर भी विचार करेगा : परन्तु यह कि आयोग को दी गयी रिपोर्ट या अभिमत निर्णायक के रूप में सीमित नहीं रहेगा।

24. अनुश्रण की जाने वाली कार्यप्रणाली जहां पक्ष उपस्थित नहीं होता है :

- अ. जहां सुनवाई हेतु नियत तिथि पर अथवा किसी अन्य तिथि पर ऐसी सुनवाई निरस्त की गयी हो जहां कोई भी पक्ष या उसका अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होता है, जब विषय पर सुनवाई की मांग की जाती है, आयोग, अपने विवेक से विफलता के लिए याचिका या तो निरस्त कर सकता है (यदि याचिकाकर्ता या व्यक्ति जो आयोग में सुनवाई के लिए प्रस्ताव रखता है उपस्थित नहीं होता है) या एक तरफा (यदि प्रतिवादी अथवा व्यक्ति, जिसके विरुद्ध याचिका दायर की जाती है उपस्थित नहीं होता है) निर्णीत कर सकता है तथा जहां न तो प्रार्थी तथा न ही प्रतिद्वन्दी सुनवाई हेतु प्रार्थनापत्र पर उपस्थित होता है आयोग विफलता के लिए इसे निरस्त कर सकता है।
- ब. जहां याचिका विफलता में निरस्त की जाती है अथवा एक तरफा निर्णीत की जाती है व्यथित व्यक्ति ऐसी निरस्तीकृत या एक तरफा निर्णय किये जाने की तिथि से, जैसी स्थिति हो तीस (30) दिनों के अन्दर पारित आदेश पर पुनर्विचार के लिए प्रार्थना-पत्र दाखिल कर सकता है एवं आयोग ऐसी शर्तों पर जैसा यह उचित समझता है आदेश पर पुनर्विचार कर सकता है, यदि आयोग संतुष्ट है कि जब याचिका पर सुनवाई की मांग की गयी थी सम्बन्धित पक्ष के उपस्थिति होने के लिए पर्याप्त कारण था।
- स. जहाँ आयोग के समक्ष प्रकरण का निर्णय गुणवत्ता पर किया जाना आवश्यक होता है तथा कोई पक्ष नोटिस का उत्तर नहीं दे रहा है, आयोग याचिकाकर्ता को वृहद प्रचालन वाले समाचार पत्र में सूचना के प्रकाशन हेतु निर्देश दे सकता है एवं विवाद का निर्णय अभिलेख में उपलब्ध सामग्री के आधार पर योग्यतानुसार कर सकता है।

25. आयोग के आदेश :

- अ. (प)आयोग याचिका पर आदेश पारित करेगा तथा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य जिन्होंने विषय को सुना था आदेशों पर हस्ताक्षर करेंगे।
- (पप) ऐसे प्रकरण में यदि सुनवाई पश्चात एवं निर्णय देते समय अध्यक्ष या आयोग का कोई सदस्य मतभिन्नता रखता है वह कारणों सहित अपना मतभिन्नता वाला निर्णय देगा। आयोग का बहुमत दृष्टिकोणीय निर्णय अन्तिम होगा।
- ब. आयोग किसी भी स्तर पर उसके समक्ष किसी कार्यवाही में अन्तरिम एक तरफा आदेशों सहित ऐसे अन्तिम आदेश पारित कर सकता है जैसा कि वह अन्य प्रकरणों के मध्य कार्यवाही के किसी पक्ष अथवा उपभोक्ताओं सहित अन्य व्यक्ति या उपभोक्ताओं की किसी श्रेणी या श्रेणियों के अधिकारों एवं हित के संरक्षण हेतु उचित समझता है।



स कोई भी सदस्य किसी संदर्भ में अपने विवेक द्वारा लिये गये निर्णय हेतु पक्षकारों से अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग रख सकता है।

- स. आयोग द्वारा आदेशों के पक्ष में असहमत सदस्य द्वारा दिये गये कारणों सहित, यदि कोई, आदेश के भाग का हिस्सा होंगे तथा निरीक्षण एवम् इस विनियमावली के अनुसार प्रतियों की आपूर्ति हेतु उपलब्ध होंगे। आयोग द्वारा पारित प्रत्येक आदेश एक तर्कपूर्ण आदेश होना चाहिए।
- द. आयोग द्वारा निर्गत या सूचित सभी आदेशों एवं निर्णयों को सचिव अथवा आयोग द्वारा इसकी ओर से अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित किया जायेगा तथा ये आयोग की सील धारण करेंगे।
- य. आयोग के सभी अन्तिम आदेशों को कार्यवाही में पक्षों को सचिव या आयोग द्वारा इस हेतु अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर के अन्तर्गत सूचित किया जायेगा।

26. अभिलेखों का निरीक्षण एवं प्रमाणित प्रतियों की आपूर्ति :

- अ. प्रलेख, विवरण, फोटोग्राफ, आडियो या वीडियो रिकार्डिंग सहित कार्यवाही के समस्त अभिलेख आयोग की अपवर्जक सम्पत्ति होंगे तथा एवं आयोग के पूर्व एवं लिखित अनुमोदन के बिना इनकी छाया प्रतियाँ, मुद्रण, स्क्रीनिंग, प्रकाशन, उद्धरण या प्रसारण नहीं किया जा सकता है।
- ब. प्रत्येक कार्यवाही के अभिलेख पक्षों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों को या तो कार्यवाही के दौरान किसी समय या आदेश पारित किये जाने के पश्चात् शुल्क के भुगतान की शर्तार्थीन एवं अन्य नियमों के अनुपालन के साथ जैसा आयोग निर्णय दे, निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगे।
- स. प्रत्येक कार्यवाही के अभिलेख सिवाय उस भाग के जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किन्हीं कारणों से गोपनीय या विशेषाधिकृत है या तो कार्यवाही के दौरान अथवा आदेश किये जाने के पश्चात् याचिका के पक्षों के अतिरिक्त किसी व्यक्ति के द्वारा निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे: परन्तु यह कि ऐसा व्यक्ति जैसा आयोग समय-समय पर समय, स्थान एवं निरीक्षण की विधि एवं शुल्कों के भुगतान के सम्बन्ध में निर्देशित करे, का अनुपालन करता है। आयोग अपनी वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक हित को शामिल करने के लिए सूचना को सुलभ और जनता के लिए उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा
- द. कोई व्यक्ति आदेशों की प्रमाणित प्रतियों, निर्णयों, निर्देशनों तथा उनके समर्थन में आयोग द्वारा दिये गये कारणों के साथ ही अभिवचनों, कागजातों तथा आयोग के अभिलेखों के अन्य भागों को प्राप्त करने हेतु सक्षम होगा, जिसके लिए वह शुल्क के भुगतान एवं आयोग द्वारा निर्देशित अन्य शर्तों के अनुपालन करने की शर्तार्थीन अधिकृत है।



[Handwritten signature]

[Handwritten number 2]

ई अनुरोधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से चौदह कार्य दिवसों की अवधि के भीतर प्रदान की जाएंगी।

अध्याय-3

विवादों का पंचनिर्णय

28. अ. अनुज्ञप्तिधारियों एवं उत्पादन कम्पनियों के मध्य उठ रहे (अनुज्ञप्तिधारी एवं उपभोक्ता के मध्य के अतिरिक्त) विवादों का पंचनिर्णय अनुज्ञप्तिधारियों अथवा उत्पादन कम्पनियों, जैसी कि स्थिति हो, से प्राप्त प्रार्थना-पत्र पर प्रारम्भ किया जा सकता है।
- ब. आयोग विवादों के पंचनिर्णय के लिए प्रार्थना के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त होने पर अन्य पक्ष को कारण बताओ नोटिस निर्गत करेगा कि नोटिस में विनिर्दिष्ट विषयों पर विवाद पंचनिर्णय के माध्यम से क्यों न निर्णीत और निस्तारित किया जाना चाहिए।
- स. (प) अयोग पक्षों को सुनने के पश्चात, जिन्हें नोटिस निर्गत किये गए हैं, और यदि सन्तुष्ट है कि प्रस्तावित पंचनिर्णय के विरुद्ध कोई कारण या अभियोग नहीं दर्शाये गये हैं यह निर्देशित करते हुए आदेश पारित कर सकता है कि विवादों या विषय को न्यायालय निर्णय एवं पंच निर्णय के माध्यम से निस्तारण के लिये या तो आयोग या आयोग द्वारा नामांकित व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा संदर्भित किया जा सकता है।
- (पप) यदि आयोग व्यक्ति या आयोग से भिन्न व्यक्तियों द्वारा प्रकरण को पंचनिर्णय हेतु संदर्भित करना निश्चय करता है, तो सन्दर्भित होगा :-
- (1) एकल मध्यस्थ को, यदि विवाद के पक्षकार मध्यस्थ के नाम पर सहमत होते हैं, अथवा
- (2) यदि पक्षकार एकल मध्यस्थ के नाम पर सहमत होने में असमर्थ हैं, आयोग द्वारा नामांकित किये जाने वाले एकल मध्यस्थ को अथवा तीन व्यक्तियों को जैसा आयोग विवादों की प्रकृति तथा अन्तर्निहित धनराशि को ध्यान में रखते हुए निर्देशित करे, यदि तीन मध्यस्थों को संदर्भित करने का निर्णय होता है, तो एक विवाद के प्रत्येक पक्ष द्वारा नामांकित किया जायेगा तथा तीसरा आयोग द्वारा :
- परन्तु यह कि यदि कोई भी पक्ष मध्यस्थ नामांकित करने में असफल होता है अथवा यदि पक्षों या आयोग द्वारा नामांकित मध्यस्थ कार्य करने में असफल रहता है अथवा मध्यस्थ के रूप में बना रहते हुए, उपेक्षा करता है, आयोग उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नामांकित करने का अधिकारी होगा।
- मध्यस्थों की नियुक्ति प्रकरणों में आरबीट्रेशन एण्ड कनसिलियेशन एक्ट, 1996, जैसा कि आरबीट्रेशन एण्ड कनसिलियेशन (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित, के लागू होने की सामान्यता के पूर्वानुग्रह के बिना यह विशेष रूप से आरबीट्रेशन एण्ड कनसिलियेशन (संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा 11 धारा 12 एवं अनुसूची 7 के अन्तर्गत दी गई आवश्यकताओं की शर्ताधीन होगी।



- (3) आयोग उस व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नामांकित नहीं करेगा, जिसके विषय में मध्यस्थता में अनुज्ञप्तिधारियों या अन्य सम्बन्धित व्यक्ति में से किसी को सम्भावित पक्षपात के आधारों पर अथवा समान कारणों से विवेकपूर्ण आपत्ति है, यदि आयोग आपत्ति को प्रामाणिक एवं न्यायोचित विचारित करता है।
- स. ऐसी स्थिति में जब आयोग मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, न्यायाधिक निर्णय एवं निस्तारण के लिये अनुसरण की जाने वाले कार्य प्रणाली जहाँ तक सम्भव हो वही होगी जैसा कि ऊपर अध्याय 2 में आयोग के समक्ष सुनवाई के सम्बन्ध में निर्धारित की गयी है।
- द. आयोग पक्षों को सुनवाई के लिये अवसर देने के पश्चात, जैसा यह उचित समझता है, उचित आदेश पारित करने का अधिकारी होगा।

अध्याय-4

अन्वेषण, जाँच, सूचना आदि का संकलन

29. अ. आयोग लागू विधिक संरचना एवं सूचना के संकलन, जाँच, अन्वेषण, प्रवेशाधिकार, तलाशी एवं जब्ती के लिए आयोग द्वारा बनायी गयी विनियमावली के सम्बन्ध में अपने अधिकारों की सामान्यता में बिना भेदभाव के निम्न के सम्बन्ध में ऐसा आदेश या आदेशों, जैसा यह उचित समझे, बना सकता है :-
- (प) आयोग किसी भी समय पर सचिव या किसी एक या अधिक अधिकारियों अथवा परामर्शदाताओं या किसी भी अन्य व्यक्ति को, जैसा आयोग उचित समझे अध्ययन, अन्वेषण या लागू विधिक संरचना के अन्तर्गत आयोग की सीमा के अन्दर किसी भी विषय के सम्बन्ध में सूचना प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दे सकता है।
- (पप) आयोग उपर्युक्त उद्देश्य के लिए ऐसे अन्य निर्देश दे सकता है जैसा यह उचित समझता है एवं समय निर्धारित कर सकता है, जिसके अन्दर सूचना जमा की जानी है या सूचना प्रस्तुत की जानी है।
- (पपप) आयोग सचिव या किसी अधिकारी को किसी व्यक्ति को आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश निर्गत करने एवं परीक्षण करने की आज्ञा तथा इस हेतु आयोग के अधिकारी द्वारा पुस्तकें, लेखे आदि रखे जाने या विनिर्दिष्ट अधिकारी को सूचना आदि प्रदान करने हेतु जैसा कि लागू विधिक संरचना एवं आयोग द्वारा बनायी गयी विनियमावली में प्रावधानित है, अधिकृत कर सकता है।
- (पा) आयोग किसी सूचना या दस्तावेजों के संकलन करने के उद्देश्य के लिए, जिसे आयोग लागू विधिक संरचना के अन्तर्गत अपने कर्तव्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में आवश्यक समझता है, ऐसे निर्देशों का निर्गमन एवं लागू विधिक संरचना में निर्धारित किसी एक या अधिक विधियों का अनुसरण कर सकता है।
- (अ) लागू विधिक संरचना अथवा इस विनियमावली में जैसा विनिर्दिष्ट है प्राप्त की गई कोई ऐसी रिपोर्ट या सूचना यदि आयोग को अपर्याप्त प्रतीत होती है, आयोग या सचिव या उद्देश्य के लिए अधिकृत अधिकारी अग्रिम जाँच रिपोर्ट एवं सूचना प्रदान करने हेतु निर्देश दे सकता है।
- (अप) आयोग ऐसे प्रासंगिक, परिणामी एवं परिपूरक विषयों पर ध्यान देने के लिए निर्देश दे सकता है जिन्हें उपर्युक्त के सम्बन्ध में संगत समझा जायेगा।



- ब. लागू विधिक संरचना एवं विनियम 29 (द) के अन्तर्गत कार्यों के निर्वहन के सम्बन्ध में आयोग यदि उचित समझता है जाँच आदेश निर्गत करने एवं विषय को इस विनियमावली के अध्याय-2 के अन्तर्गत प्राविधानित विधि से आगे बढ़ाने के लिये निर्देश दे सकता है।
- स. आयोग किसी भी समय किसी भी संस्था, परामर्शी विशेषज्ञ, अभियन्ता, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, एडवोकेट, सर्वेक्षक तथा ऐसे अन्य तकनीकी एवं व्यावसायिक व्यक्तियों की सहायता ले सकता है जैसा यह आवश्यक समझता है एवम् किसी विषय या प्रकरण में उनसे अध्ययन, जाँच-पड़ताल, पूछताछ करने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने या किसी सूचना को प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है। आयोग ऐसे व्यवसायियों के अनुबन्धन के लिए नियम एवं शर्तें निर्धारित कर सकता है।
- द. यदि उपर्युक्त विनियमों अथवा उनके किसी भाग के सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट या सूचना पर आयोग द्वारा किसी कार्यवाही में इसके विचार या दृष्टिकोण का गठन करने में निर्भर होना प्रस्तावित है, कार्यवाही के पक्षों को रिपोर्ट या सूचना पर आपत्तियाँ दाखिल करने एवं समर्पण करने के लिए उपयुक्त अवसर दिया जायेगा।
- (प) आयोग सन्तुष्ट होने पर कि अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति शर्तों का अनुपालन करने में असफल है अथवा उत्पादन करने वाली कम्पनी अथवा अनुज्ञप्तिधारी इस पर लागू विधिक संरचना अथवा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों या विनियमों का अनुपालन करने में असफल हैं, किसी भी समय लिखित में आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को उत्पादन करने वाली कम्पनी अथवा अनुज्ञप्तिधारी के कार्यों की जाँच-पड़ताल करने एवं ऐसे जाँच प्राधिकारी द्वारा की गई जाँच की अन्वेषण आख्या आयोग को प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दे सकता है: परन्तु यह कि जाँच प्राधिकारी जहाँ कहीं आवश्यक हो, किसी सम्प्रेक्षक या अन्य व्यक्ति को इस विनियम के अन्तर्गत किसी जाँच पड़ताल में सहायता करने के उद्देश्य के लिए नियुक्त कर सकता है।
- (पप) अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन करने वाली कम्पनी जाँच प्राधिकारी के समक्ष सभी ऐसी लेखा पुस्तकें, रजिस्टर तथा उसकी अभिरक्षा या अधिकार में अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने एवं अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन करने वाली कम्पनी के क्रिया-कलापों से सम्बन्धित विवरण एवं सूचनाएं, जैसी स्थिति हो, जाँच अधिकारी को उस अवधि के अन्दर प्रस्तुत करना उनके कर्तव्य के अन्तर्गत होगा जैसा कि कथित जाँच प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करें।
- (पपप) जाँच-पड़ताल करने वाला प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन करने वाली कम्पनी, जैसी स्थिति हो, के प्रबन्धक, प्रबन्ध निदेशक अथवा अन्य अधिकारी को शपथ पर व्यवसाय के सम्बन्ध में पूछ-ताछ के लिये अधिकृत होगा तथा तदनुसार शपथों की मांग कर सकता है। जाँच-पड़ताल करने वाला प्राधिकारी यदि आयोग द्वारा निर्देशित किया जाता है निरीक्षण की कार्यवाही करेगा।
- (पपा) किसी रिपोर्ट के प्राप्त होने पर तथा अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन करने वाली कम्पनी, जैसी स्थिति हो, को रिपोर्ट के सम्बन्ध में अभ्यावेदन करने, जैसा कि आयोग उचित समझता है, ऐसा अवसर देने के पश्चात यह लिखित में आदेश द्वारा-
1. अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन करने वाली कम्पनी को रिपोर्ट से उत्पन्न हो रहे किसी विषय के सम्बन्ध में, जैसा आयोग उचित समझे, ऐसी कार्यवाही करने हेतु आदेश दे सकता है, अथवा
 2. अनुज्ञप्ति निरस्त कर सकता है, या



2

3. उत्पादन करने वाली कम्पनी को विद्युत के उत्पादन का व्यवसाय बन्द करने हेतु निर्देश दे सकता है।

(अ) अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन करने वाली कम्पनी, जैसी स्थिति हो, को उचित नोटिस देने के पश्चात आयोग अन्वेषण प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट अथवा उसका वह भाग जो आवश्यक प्रतीत होता है प्रकाशित कर सकेगा।

(अप) आयोग अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन करने वाली कम्पनी द्वारा अपनी पुस्तकों में अनुरक्षित की जाने वाली कम से कम सूचनाओं, शैली जिसमें ऐसी सूचना अनुरक्षित की जायेगी, अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन करने वाली कम्पनी द्वारा इस सम्बन्ध में अपनाये जाने वाले प्रतिबन्ध तथा अन्य सत्यापनों एवं उनसे प्रासंगिक अन्य विषयों को विनिर्दिष्ट कर सकता है, जो उसके अभिमत में अन्वेषण प्राधिकारी को अपने कर्तव्यों के सन्तोषजनक रूप से निर्वहन करने के लिए सक्षम बनाने हेतु आवश्यक हैं, इस विनियम के उद्देश्य से अभिव्यक्ति "अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन करने वाली कम्पनी" में भारत में निगमित अनुज्ञप्तिधारी के सम्बन्ध में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे-

1. भारत के बाहर पूरी तरह से विद्युत का उत्पादन या पारेषण अथवा वितरण या लेनदेन का व्यापार संचालित करने के उद्देश्य से गठित इसकी समस्त सहायिकियाँ।
2. भारत में अथवा भारत के बाहर स्थित इसकी सभी शाखायें,
3. इस प्रावधान के अन्तर्गत की गई किसी जाँच-पड़ताल के समस्त व्यय, प्रासंगिक व्यय अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन करने वाली कम्पनी, जैसी स्थिति हो, द्वारा वहन किये जायेंगे तथा अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन करने वाली कम्पनी से प्राप्य ऋणों पर प्राथमिकता रखेंगे एवं भू राजस्व के अवशेष के रूप में वसूली योग्य होंगे।

(अपप) जहाँ आयोग इसके अधिकार में विषय वस्तु के आधार पर सन्तुष्ट है कि अनुज्ञप्तिधारी उसकी अनुज्ञप्ति में वर्णित शर्तों अथवा छूट की स्वीकृति के लिये शर्तों में से किसी का उल्लंघन कर रहा है या उल्लंघन करने की सम्भावना है अथवा अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन करने वाली कम्पनी ने लागू विधिक संचनाना के प्रावधानों में से किसी का उल्लंघन किया है अथवा उल्लंघन करने की सम्भावना है, यह एक आदेश द्वारा ऐसे निर्देश देगा जैसा उस शर्त या प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य के लिये आवश्यक है। ऐसे निर्देश देते समय आयोग उस सीमा तक उचित ध्यान रखेगा जिससे किसी व्यक्ति को ऐसे उल्लंघन से सम्भवतः हानि या क्षति होने की सम्भावना है।

(अपपप) आयोग उस शर्त या प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य के लिए किसी निर्देश को निर्गत करने से पूर्व निम्नलिखित कार्यवाही करेगा -

1. उस ढंग से नोटिस तामील करेगा जैसा कि सम्बन्धित अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन करने वाली कम्पनी को स्पष्ट रूप से बताया गया हो।
2. उस ढंग से नोटिस प्रकाशित करेगा जैसा कि प्रभावित या सम्भवतः प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के संज्ञान में मामलों को लाने के उद्देश्य के लिए स्पष्ट रूप से बताया गया हो।
3. प्रभावित अथवा प्रभावित होने के लिए सम्भावित सम्बन्धित अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन करने वाली कम्पनी एवं व्यक्तियों से प्राप्त सुझावों तथा आपत्तियों पर विचार करेगा।



Sh-

2

अध्याय-5

अनुज्ञप्ति

30. अनुज्ञप्ति सम्बन्धी विवादास्पद विषय उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण अनुज्ञप्तिधारी की सामान्य शर्तें) विनियमावली, 2004, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की सामान्य शर्तें) विनियमावली, 2005, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (अंतः राज्य विद्युत व्यापारी के लिये व्यापार करने की अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने के लिए कार्यविधि, नियम एवं शर्तें तथा अन्य सम्बन्धित प्रावधान) विनियमावली 2004 तथा उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों एवं वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की अन्य व्यवसायों की आय का व्यवहार) विनियमावली, 2004 एवं उनके संशोधनों तथा उनके पुनर्अधिनियमों से नियंत्रित होंगे।

अध्याय-6

दर-सूची (टैरिफ)

31. दर-सूची सम्बन्धी विवादास्पद विषय उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय पारेषण टैरिफ) विनियमावली, 2019 तथा उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय वितरण टैरिफ) विनियमावली, 2014 एवं उनके संशोधनों तथा उनके पुनर्अधिनियमों से नियंत्रित होंगे।

अध्याय-7

सांकेतिक संहिता एवं मानक

32. आयोग समय-समय पर राज्य में परिचालित हो रहे अनुज्ञप्तिधारियों एवं ऐसे सांकेतिक संहिता एवं मानकों से संभवतः प्रभावित होने वाले किसी व्यक्ति के साथ परामर्श में विद्युत क्षेत्र के उचित एवं दक्ष आचरण एवं राज्य में विद्युत के परिचालन के लिये जैसा आयोग उचित समझता है सांकेतिक सूचकांक संहिता मानकों को निरूपित कर सकता है। आयोग यदि उचित समझता है अनुज्ञप्तिधारियों एवं उत्पादन करने वाली कम्पनियों को आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की गयी सांकेतिक संहिता/मानक अपनाने हेतु निर्देश दे सकता है।
33. आयोग ऐसे परामर्श एवं कार्यवाही संचालित कर सकता है जैसी आयोग अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिपादित सांकेतिक संहिता/मानकों पर विचार करने हेतु उचित समझता है।
34. आयोग प्रतिपादित किये जाने वाली सांकेतिक संहिताओं/मानकों पर आयोग को परामर्श देने हेतु विशेषज्ञों को नियुक्त करने का अधिकारी होगा।
35. आयोग ऐसे सुधारों को निर्देशित कर सकता है जैसा यह प्रतिपादित सांकेतिक संहिताओं/मानकों के लिये उचित समझता है।
36. अनुज्ञप्तिधारी समय-समय पर आयोग द्वारा बनाये गये निर्देशों एवं आदेशों के अनुरूप आयोग द्वारा अनुमोदित सांकेतिक संहिता/मानकों का कार्यान्वयन करेगा।
37. आयोग की विद्युत प्रणाली के परिचालन में संपादन के मानकों के प्रवर्तन के सम्बन्ध में अधिकारों की बिना भेदभाव सामान्यता को निरूपित एवं कार्यान्वित किए जाने वाली सांकेतिक संहिता में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे -

अ ग्रिड कोड

ब विद्युत आपूर्ति कोड



24

अध्याय-8

संपादन के मानक

38. अनुज्ञापितधारियों के संपादन के मानकों से सम्बन्धित विवादास्पद विषय संपादन की मानक विनियमावली द्वारा, जैसा कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये हैं, नियंत्रित किये जायेंगे।

अध्याय-9

नवीकरणीय क्रय दायित्व

39. नवीकरणीय क्रय दायित्व सम्बन्धी विवादास्पद विषय उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रमोशन ऑफ ग्रीन एनर्जी थू रिन्यूएबिल परचेज ओब्लीगेशन) विनियमावली, 2010 एवं उनके संशोधनों एवं उनके पुनर्अधिनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे।

अध्याय-10

ओपिन एक्सेस

40. ओपिन एक्सेस सम्बन्धी विवादास्पद विषय उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ओपिन एक्सेस के लिए नियम एवं शर्तें) विनियमावली, 2004 एवं उसके संशोधनों एवं उसके पुनर्अधिनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे।

अध्याय-11

कैप्टिव एवं नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन संयंत्र

41. कैप्टिव एवं नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन संयंत्र से सम्बन्धित विवादास्पद विषय उ.प्र.वि.नि.आ. (कैप्टिव एण्ड रिन्यूएबिल इनर्जी जेनरेंटिंग प्लान्ट्स) विनियमावली, 2014 (सीआरई रैगुलेशंस, 2014) तथा उसके संशोधनों एवं उनके पुनर्अधिनियमों द्वारा संचालित होंगे।

अध्याय-12

मांग पक्ष प्रबंधन

42. मांग आधारित प्रबंधन से सम्बन्धित विवादास्पद विषय उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (डिमाण्ड साइड मैनेजमेंट) विनियमावली, 2014 एवं उसके संशोधनों तथा उसके पुनर्अधिनियमों द्वारा संचालित होंगे।

अध्याय-13

उपभोक्ता विवाद

43. उपभोक्ता विवाद से सम्बन्धित विवादास्पद विषय उ.प्र.वि.नि.आ. (कन्ज्यूमर ग्रीवेन्स रिड्रेशल फोरम एण्ड इलेक्ट्रिसिटी ओमबड्समैन) विनियमावली, 2007 एवं उसके संशोधनों एवं उसके पुनर्अधिनियमों द्वारा संचालित होंगे।

अध्याय-14

शुल्क एवं अर्थ दण्ड

44. याचिका के साथ शुल्कों एवं अनुपालन न करने के विभिन्न मामलों में आरोपण किये जाने वाले अर्थ दण्डों से सम्बन्धित विवादास्पद विषय उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (फीस एण्ड फाइन्स) विनियमावली, 2010 एवं उसके संशोधन एवं उसके पुनर्अधिनियमों द्वारा संचालित होंगे।



[Handwritten signature]

[Handwritten number 2]

अध्याय-15

रूफ टॉप सौर ऊर्जा, शुद्ध मापन एवं सकल मापन

45. रूफ टॉप सौर ऊर्जा, शुद्ध मापन एवं सकल मापन से सम्बन्धित विवादास्पद विषय उ.प्र.वि.नि. आ. (रूफटाप सोलर पीबी ग्रिड इन्टरएक्टिव सिस्टम ग्रास/नेट मीटरिंग) विनियमावली, 2019 (आरएसपीवी रेगुलेशंस, 2019) एवं उनके संशोधन तथा उसके पुनर्अधिनियमों द्वारा संचालित होंगे।

अध्याय-16

सौर एवं पवन ऊर्जा के पूर्वानुमान, कार्यक्रम बनाना एवं विचलन समझौता

46. सौर एवं पवन ऊर्जा का पूर्वानुमान करना, कार्यक्रम बनाना एवं विचलन समझौते से सम्बन्धित विवादास्पद विषय एबीटी (सोलर एण्ड विन्ड) विनियमावली, 2018 (फोरकास्टिंग, शिड्यूलिंग डेविएशन, सैटिलमेंट एण्ड रिलेटेड मैटर्स) तथा उनके संशोधनों एवं उसके पुनर्अधिनियमों द्वारा संचालित होंगे।

अध्याय-17

अन्तःराज्य पारेषण प्रणाली से सम्बद्धता की स्वीकृति

47. अन्तःराज्य पारेषण प्रणाली से सम्बद्धता की स्वीकृति से सम्बन्धित विवादास्पद विषय उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (अन्तःराज्य पारेषण प्रणाली से सम्बद्धता की स्वीकृति) विनियमावली, 2010 एवं उनके संशोधनों एवं उसके पुनर्अधिनियमों द्वारा संचालित होंगे।

अध्याय-18

उपलब्धता आधारित टैरिफ/विचलन समझौता प्रक्रिया

48. अन्तःराज्य उपलब्धता आधारित टैरिफ/विचलन समझौता प्रक्रिया से सम्बन्धित विवादास्पद विषय अन्तःराज्य उपलब्धता आधारित टैरिफ/विचलन समझौता प्रक्रिया विनियमावली द्वारा, जैसा कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये हैं से, संचालित होंगे।

अध्याय-19

राज्य परामर्शदात्री समिति

49. राज्य परामर्शदात्री समिति से सम्बन्धित विवादास्पद विषय उ. प्र. विद्युत नियामक आयोग (कन्सल्टेशन्स ऑफ स्टेट एडवाइजरी कमेटी एण्ड इट्स फंक्शनिंग) विनियमावली, 2004 एवं उसके संशोधनों तथा उसके पुनर्अधिनियमों द्वारा संचालित होंगे।

अध्याय-20

विविध

50. विशेषज्ञों से सहायता :

- अ. आयोग किसी भी समय किसी संस्था, परामर्शी, विशेषज्ञ, अभियन्ता, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, एडवोकेट सर्वेक्षक एवं ऐसे अन्य तकनीकी एवं व्यावसायिक व्यक्ति से, जैसा यह आवश्यक समझे, सहायता ले सकता है तथा उन्हें किसी विषय पर अध्ययन, अन्वेषण एवं अन्वेषण करने या रिपोर्ट निर्गत एवं प्रस्तुत करने अथवा किसी सूचना को प्रस्तुत करने के लिये कह सकता है। आयोग ऐसे व्यावसायिकों की नियुक्ति के लिए नियम एवं शर्तें निर्धारित कर सकता है।
- ब. यदि उपर्युक्त विनियमावली अथवा उसके किसी भाग के सम्बन्ध में प्राप्त हुई रिपोर्ट या सूचना पर आयोग द्वारा किसी कार्यवाही में अपना अभिमत या दृष्टिकोण बनाने के लिए निर्भर रहना प्रस्तावित है, कार्यवाही में पक्षों को आपत्तियाँ दाखिल करने तथा रिपोर्ट या सूचना पर प्रस्तुतियाँ करने के लिए उचित अवसर दिया जायेगा।



51. दावे की वापसी एवं निस्तारण :

- अ. यदि एक वादी किसी भी समय किसी कार्यवाही में अन्तिम आदेश पारित होने के पूर्व आयोग को सन्तुष्ट करता है कि सभी प्रतिवादियों के विरुद्ध अपना दावा वापसी को अनुमति देने के लिए पर्याप्त आधार है, आयोग शिकायतकर्ता को इसकी वापसी के लिये आदेश द्वारा अनुमति दे सकता है।
- ब. यदि आयोग का अभिमत है कि दावे की वापसी की अनुमति देना उचित नहीं होगा, आयोग शिकायत के लिये शिकायतकर्ता के स्थान पर ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा चालू रखने एवं ऐसे ढंग में जैसा आयोग उचित समझे आदेश कर सकता है।
- स. जहाँ आयोग का अभिमत है कि इस विनियम के अन्तर्गत कार्यवाही जारी रहना अनावश्यक है या प्रक्रिया का दुरुपयोग है, यह किसी भी स्तर पर कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करके कार्यवाही समाप्त कर सकता है।

52. निर्णय, निर्देश एवं आदेशों की समीक्षा :

- अ. आयोग के निर्देश, निर्णय या आदेश जिससे (1) कोई अपील पसंद नहीं की गयी है अथवा (2) जिससे कोई अपील अनुमन्य नहीं है से व्यथित कोई व्यक्ति सिविल प्रोसीजर कोड की शर्ताधीन आयोग के समक्ष निर्देश, निर्णय या आदेश, जैसी स्थिति हो, की तिथि से नब्बे (90) दिनों के अन्तर्गत समीक्षा दायर कर सकेगा।
- ब. ऐसी समीक्षा के लिए एक प्रार्थना पत्र इस विनियमावली के अध्याय-2 के अन्तर्गत याचिका के रूप में समान रीति में दायर कर सकेगा।
- स. आयोग अपने निर्णय, निर्देश एवं अधिकारों के लिये किसी कार्यवाही के उद्देश्यों के लिए, समीक्षा के लिये उन्हीं अधिकारों के लिए अधिकृत होगा जैसा कि सिविल प्रोसीजर कोड, 1908 के अन्तर्गत सिविल कोर्ट में अधिकार प्रदान किये गये हैं।
- द. जब आयोग को यह प्रतीत होता है कि समीक्षा के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है, आयोग ऐसी समीक्षा याचिका को ख्त कर देगा।
- य. जब आयोग का अभिमत है कि समीक्षा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना चाहिए, यह इसे इस शर्त पर स्वीकार करेगा कि समीक्षा के लिए दिया गया प्रार्थना-पत्र विपक्षी पक्ष या पक्ष को उपस्थित होने के लिए सक्षम बनने तथा निर्णय या आदेश के पक्ष में सुनवाई की पूर्व सूचना दिये बिना ऐसा प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

53. मृत्यु आदि के पश्चात् कार्यवाही की निरन्तरता :

- अ. जहाँ किसी कार्यवाही में कार्यवाही के पक्षकारों में से किसी की मृत्यु हो जाती है अथवा न्यायालय के निर्णय से दिवालिया घोषित हो जाता है या परिसमापन (लिक्विडेशन)/बन्दी के अन्तर्गत कम्पनी की स्थिति में, हित रखने वाले उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, रिसीवर परिसमापक अधिकारी अथवा सम्बन्धित पक्ष के विधिक प्रतिनिधि के साथ कार्यवाही जारी रहेगी।
- ब. आयोग लिपिबद्ध किये जाने वाले कारणों से यदि आयोग ऐसा निर्देशित करता है कार्यवाही को शिथिल के रूप में मान सकता है तथा हित रखने वाले उत्तराधिकारियों आदि के प्रकरण को लिपिबन्धन पर लाने की आवश्यकता को समाप्त करेगा।
- स. यदि कोई व्यक्ति हित आदि रखने वाले उत्तराधिकारी को अभिलेख पर लाने की इच्छा करता है इस उद्देश्य के लिये प्रार्थना-पत्र हित रखने वाले उत्तराधिकारी को अभिलेख पर लाने की आवश्यकता की घटना से 90 दिनों के अन्दर दाखिल किया जायेगा।

54. जनसाधारण के लिये खुली रहने वाली कार्यवाही :

Sh-



2

आयोग के समक्ष कार्यवाही जनसाधारण को खुली रहेगी। यद्यपि सुनवाई कक्ष में प्रवेश बैठने के स्थान की उपलब्धता की शर्ताधीन होगा। परन्तु यह कि आयोग यदि यह उचित समझता है एवं लिखित में लिपिबद्ध किये जाने वाले कारणों से किसी विशेष प्रकरण की कार्यवाही के किसी स्तर पर आदेश कर सकता है कि सामान्य जन साधारण अथवा कोई व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्तियों का समूह आयोग द्वारा उपयोग किये जाने वाले कक्ष या भवन में प्रवेश की पहुँच नहीं रखेगा।

55. भारतीय दण्ड संहिता तथा आपराधिक कार्यप्रणाली संहिता के प्रावधानों की प्रायोज्यता :

- अ. भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 228, के अनुसार कोई भी जो जानबूझ कर किसी कार्यवाही में अपमान करता है या किसी व्यवधान का कारण बनता है, 6 माह के साधारण कारावास या जुर्माना जो रु. 1000/- तक बढ़ सकता है या दोनों के लिये दण्डनीय होगा।
- ब. आयोग के समक्ष सभी कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 एवं 228 के उद्देश्य के अन्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी तथा आयोग आपराधिक कार्यप्रणाली संहिता, 1973 की धारा 345 एवं 346 के उद्देश्यों के लिए दीवानी न्यायालय माना जायेगा।
- स. आयोग या कोई अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी से कम नहीं, इस सम्बन्ध में विशेष रूप से आयोग द्वारा अधिकृत किसी भवन या स्थान में प्रवेश कर सकता है जहाँ आयोग के पास विश्वास करने का कारण है कि जाँच की विषय सामग्री से सम्बन्धित कोई दस्तावेज पाये जा सकते हैं, तथा आपराधिक कार्यप्रणाली की संहिता, 1973 की धारा-100 के प्रावधानों की शर्ताधीन, जहाँ तक कि यह लागू हो सके, किसी ऐसे दस्तावेजों को जब्त कर सकता है अथवा उसके उद्धरण या प्रतियाँ प्राप्त कर सकता है।

56. याचिका का प्रकाशन :

- अ. जहाँ कोई प्रार्थनापत्र याचिका अथवा अन्य विषय लागू विधिक रचना या इस विनियमावली के अन्तर्गत अथवा आयोग के निर्देशों के अनुसार प्रकाशित किया जाना आवश्यक है, यह जब तक कि आयोग अन्यथा आदेश नहीं करता या लागू विधिक संरचना अथवा विनियमावली अन्यथा नहीं कहती सुनवाई के लिये नियत की गई तिथि से कम से कम 5 दिन पूर्व विज्ञापित किया जायेगा। प्रकाशन क्षेत्र में प्रचलन रखने वाले न्यूनतम एक दैनिक इंगलिश भाषा समाचार पत्र तथा एक दैनिक हिन्दी भाषा समाचार पत्र में ऐसे रूप में जैसा आयोग द्वारा निर्देशित किया जाए, किया जायेगा।
- ब. सिवाय जैसा कि अन्यथा प्रावधानित है ऐसे विज्ञापन संक्षेप में विषय सामग्री वर्णित करते हुये एक शीर्षक देंगे।
- स. ऐसे प्रकाशित किया जाने वाले विज्ञापन इस उद्देश्य के लिए नामांकित आयोग के अधिकारी द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे।

57. आदेशों एवं प्रेक्टिस डायरेक्शंस का निर्गमन :

लागू विधिक संरचना एवं इस विनियमावली के प्रावधानों की शर्ताधीन आयोग समय-समय पर विनियमावली के कार्यान्वयन एवं अनुसरण की जाने वाली कार्यविधि एवं विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में आदेश एवं प्रेक्टिस डायरेक्शंस निर्गत कर सकेगा, जिसके लिए आयोग को इस विनियमावली द्वारा विनिर्दिष्ट या निर्देश करने हेतु सशक्त किया गया है।

58 आयोग के अन्तर्निहित अधिकार :

- अ. इस विनियमावली में कुछ भी जो ऐसे आदेशों को पारित करने, जो न्याय के उद्देश्य के लिए या आयोग की कानूनी कार्यवाही के अपमान के प्रतिकार के लिए आवश्यक हों,

De-

De-

- की सीमाबद्धता या आयोग की अन्तर्निहित शक्ति को अन्यथा प्रभावित करने के लिए नहीं माना जायेगा।
- ब. इस विनियमावली में लागू विधिक संरचना के प्रावधानों की अनुरूपता में कार्यविधि जो इस विनियमावली के किन्हीं प्रावधानों के साथ असंगती पर है, को अंगीकार करने से नहीं रोकेगा, यदि आयोग विषय या विषयों की श्रेणी की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करने के लिए अथवा ऐसे विषय या विषय की श्रेणी के साथ पेश आने के लिए इसे आवश्यक या व्यावहारिक समझता है।
- स. इस विनियमावली में कुछ भी स्पष्ट रूप से अथवा सांकेतिक रूप से आयोग की लागू विधिक संरचना के अन्तर्गत किसी विषय अथवा किसी अधिकार के प्रयोग के साथ पेश आने से नहीं रोक सकेगा जिसके लिए कोई विनियम नहीं बनाया गया है तथा आयोग ऐसे विषयों के साथ अधिकारों एवं कर्तव्यों के उस ढंग से व्यवहार कर सकता जैसे यह उचित समझता है।

59. संशोधन करने का सामान्य अधिकार :

अ आयोग किसी भी समय ऐसी शर्तों पर जैसे लागत या अन्यथा जैसा यह उचित समझे, इसके समक्ष किसी कार्यवाही में किसी कमी या त्रुटि का संशोधन कर सकता है तथा सभी आवश्यक संशोधन वास्तविक प्रश्न या कार्यवाही में उत्पन्न हो रहे विषय को तय करने के उद्देश्य के लिए किये जायेंगे। बशर्ते कि यदि आयोग वास्तविक प्रश्न या मुद्दे को निर्धारित करने के लिए संशोधन या सुधार करने की इच्छा रखता है तो आयोग आयोग को उत्पन्न होने वाले वास्तविक प्रश्न या मुद्दे को निर्धारित करने के लिए ऐसे संशोधनों या सुधारों से प्रभावित पक्षों को एक अवसर प्रदान करेगा। प्रस्तावित संशोधन या सुधार के संबंध में प्रतिनिधित्व और प्रस्तुतियाँ करने के लिए वास्तविक संशोधन या मुद्दे को छूने वाले ऐसे संशोधन या सुधार से प्रभावित पार्टियों को एक अवसर।

ब किसी भी आकस्मिक पर्ची या चूक से उत्पन्न होने वाले आदेशों या त्रुटियों में लिपिकीय या अंकगणितीय गलतियाँ किसी भी समय अपनी स्वयं की गति के आयोग या किसी भी पक्ष के आवेदन द्वारा सही हो सकती हैं।

60. कठिनाइयों को दूर करने का अधिकार :

यदि इस विनियमावली के प्रावधानों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, आयोग सामान्य या विशेष आदेश द्वारा कुछ भी कर सकेगा जो लागू विधिक संरचना के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हो एवम् ऐसी कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य के लिये आवश्यक तथा व्यावहारिक प्रतीत होते हैं।

61. विनियमावली वृद्धि करने के लिये है ना कि आयोग की अन्य विनियमावलियों में कमी हेतु:

ये विनियमावली वृद्धि में है एवं लागू विधिक संरचना अथवा किसी नियम या आयोग द्वारा उसके अन्तर्गत बनायी गयी विनियमावलियों के किसी प्रावधान को कम करने के लिए नहीं है।

62. निर्धारित समय का विस्तार संक्षेपण :

लागू विधिक संरचना के प्रावधानों की शर्ताधीन इस विनियमावली द्वारा या आयोग के आदेश द्वारा किसी कार्य को करने के लिए निर्धारित समय बढ़ाया जा सकता है (जहाँ यह पूर्व में ही समाप्त हो गया हो या नहीं) अथवा पर्याप्त कारणों से आयोग के आदेश द्वारा कम किया जा सकता है।

63. अनुपालन का प्रभाव :

धर



2

इस विनियमावली की किसी आवश्यकता के अनुपालन में असफलता किसी कार्यवाही को मात्र ऐसी असफलता के कारण निरस्त नहीं करेगी जब तक आयोग की दृष्टि में ऐसी असफलता का परिणाम न्याय का निष्फल होना न हो।

64. मुकदमे का शुल्क/अर्थदंड एवं जुर्माना :

- अ. ऐसी शर्तों एवं सीमा की शर्ताधीन जैसा कि आयोग निर्देशित कर सकता है सभी कार्यवाहियों की मुकदमें का शुल्क/अर्थदण्ड एवं जुर्माना तथा प्रासंगिक व्यय आयोग के निर्देश पर प्रदान किया जायेगा तथा आयोग को निर्धारण करने का पूर्ण अधिकार होगा कि किसके द्वारा या किस निधि से और किस सीमा तक ऐसे शुल्क/अर्थदण्ड एवं जुर्माना भुगतान किया जाय तथा आयोग उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए सभी आवश्यक निर्देश देगा।
- ब. शुल्क/अर्थदण्ड एवं जुर्माना आदेश की तिथि से 30 दिन के अन्दर या ऐसे समय के अन्दर जैसा आयोग निर्देश देता है, भुगतान किया जायेगा। शुल्क/अर्थदण्ड एवं जुर्माना प्रदान करने का आयोग का आदेश उसी ढंग से कार्यान्वित किया जायेगा जैसा कि दीवानी न्यायालय की डिक्री/आदेश।
- स. आयोग द्वारा किसी कार्यवाही में किसी पक्ष या पक्षों पर इस पक्ष या पक्षों द्वारा की गई वचनबद्धता में चूक की स्थिति में आरोपित की गई कोई फीस/अर्थदण्ड एवं जुर्माना आयोग द्वारा निर्धारित समय के अन्दर एआरआर में अस्वीकृति के तरीके से या अनुज्ञापतिधारी/कम्पनी की स्थिति में भू राजस्व के बकाये के रूप में तथा अन्य मामलों में भू-राजस्व का बकाया के रूप में वसूल कर सकता है।

65. आयोग द्वारा पारित आदेशों का प्रवर्तन :

- अ. सचिव आयोग द्वारा पारित किये गये आदेशों का सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा लागू विधिक संरचना एवं विनियमावली के प्रावधानों के अनुसार प्रवर्तन एवं अनुपालन सुनिश्चित करेगा और यदि आवश्यक हो निर्देशों के लिए आयोग के आदेश प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा।
- ब. यह विनियमावली इसके किन्हीं संशोधनों सहित पूर्व प्रकाशन की शर्तों के शर्ताधीन होगी एवं लागू नियम के अनुसार राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जायेंगी।

66. निर्विधायन एवं बचाव करना :

- अ. इस विनियमावली में, जैसा अन्यथा प्रावधानित है, को छोड़कर उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन विनियमावली, 2004) को इसके संशोधनों के साथ एतद्द्वारा निरस्त करता है।
- ब. इस तरह का निरस्तीकरण, कुछ किया हुआ या कोई की गई कार्यवाही, कोई संहिता, अधिसूचना, निरीक्षण या आदेश अथवा बनाया गया या निर्गत किया नोटिस या किसी नियुक्ति, पुष्टि या की गई घोषणा या कोई अनुज्ञप्ति, आज्ञा, अनुमति या प्रदत्त छूट या किसी लेखपत्र या दस्तावेज या खंडित विनियमावली के अन्तर्गत दिये गये किन्हीं निर्देशों के बावजूद, जब तक कि यह विनियमावली के प्रावधानों से असंगत नहीं हैं, विनियमावली के समतुल्य प्रावधानों के अन्तर्गत किये गये या लिये गये माने जायेंगे।

Sh



आयोग के आदेश से,
सचिव, आयोग

Sh

प्रपत्र-1
(विनियमन 16 देखें)

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग
लखनऊ के समक्ष

प्राप्ति पंजिका संख्या.....

याचिका संख्या.....

(कार्यालय द्वारा भरा जाना है)

निम्न के विषय में

(याचिका या प्रार्थना-पत्र के उद्देश्य का सारांश जिसमें अधिनियमों अथवा संहिता, आदि की धाराएँ जिनके अन्तर्गत याचिका दायर की जा रही है सम्मिलित होंगी)

एवं

जिसके विषय में

(याचिकाकर्ताओं/प्रार्थियों के नाम एवं पूर्ण पते)

बनाम

(प्रतिवादियों के नाम एवं पूर्ण पते)

घोषणा कि कोई भी कानून न्यायाधिकरण या मध्यस्थ या किसी अन्य प्राधिकारी के न्यायालय में कोई मामला लंबित नहीं है जिसमें याचिकाकर्ता एक पक्ष है और जहां मांगी जाने वाली और या राहत के मामले आयोग के समक्ष लंबित मामले के समान या समान हैं।

स्थान

दिनांक





हस्ताक्षर



प्रपत्र-2
(विनियम 17 देखें)

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, लखनऊ के समक्ष

प्राप्ति पंजिका संख्या.....

याचिका संख्या.....

(कार्यालय द्वारा भरा जाना है)

निम्न विषय में

(याचिका या प्रार्थना पत्र के उद्देश्य का सारांश जिसमें अधिनियमों या संहिता आदि की धाराएँ सम्मिलित होंगी जिनके अन्तर्गत याचिका दायर की जा रही है।

तथा

जिसके विषय में

(याचिकाकर्ताओं/प्रार्थियों के नाम एवं पूर्ण पते)

बनाम

(प्रतिवादियों के नाम एवं पूर्ण पते)

याचिका/उत्तर/अर्जी सत्यापित करने वाला शपथ-पत्र

मैं.....पुत्र.....आयु...

निवासी.....

.....एतद्वारा सत्यनिष्ठा से गम्भीरता पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ तथा घोषणा करता हूँ-

1. कि मैंलिमिटेड का एक निदेशक/सचिव/.....
.....हूँ। उपर्युक्त विषय में पावर ऑफ अटॉर्नी दिनांक
.....के माध्यम से याचिकाकर्ता द्वारा उनकी ओर से इस शपथ-पत्र को यथावत बनाने के लिए यथावत अधिकार प्रदत्त एवम् अधिकृत हूँ।

शपथी

यथावत अधिकार प्रदत्त एवं अधिकृत के माध्यम से इस ओर से इस शपथ पत्र को बनाने के लिए (टिप्पणी : यह प्रस्तर शामिल किया जाना है जहां याचिकाकर्ता एक कम्पनी है)।



सत्यापन :

वर्ष.....के माह के दिनांक
..... को सत्यापित किया जाता है कि प्रस्तर
की विषय सामग्री सत्य एवं तथ्यात्मक है तथा मेरी जानकारी तथा विश्वास में प्राप्त सूचनाओं के
सत्य एवम् विश्वसनीय होने के आधार पर प्रस्तर का सत्य एवम्
सही होना विश्वसनीय है।

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

